झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
2018–19 और 2019–20

विषयसूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग	03
2.	माननीय अध्यक्ष की लोकछवि	07
3.	सम्मानीय सदस्य (तकनीकी) की लोकछवि	09
4.	सम्मानीय सदस्य (विधि) की लोकछवि	11
5.	आयोग का उद्देश्य	13
6.	आयोग के कर्त्तव्य और जिम्मेदारियाँ	13
7.	आयोग के विनियमन	14
8.	शुल्क का निर्धारण	17
9.	सूचना का प्रसार	18
10.	राज्य विद्युत उपभोक्ता परामर्श समिति का संविधान	18
11.	विद्युत आपूर्ति नियमावली समीक्षा चयनक समिति का संविधान	20
12.	वर्ष 2018–19 और 2019–20 में पारित किए गए प्रमुख निर्णय / विनियमन	21
13.	अन्य नियामकों जैसे एफ ओ आर, एफ ओ आई आर, एफ ओ आर ई एन एस, एस ए एफ आई आर, अंतरराष्ट्रीय नियामक मंच, सी आई जी आर ई इत्यादि के साथ पारस्परिक विचार विमर्श	48
14	उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र	50
15	विद्युत् लोकपाल	54
16	आयोग के कार्यक्रम	55
17	आयोग के कामकाज	62
18	लेखांकन	63
19	वार्षिक प्रतिवेदन समिति	64
20	अनुलग्नक – I	65
21	अनुलग्नक – II	73
22	अनुलग्नक – III	74
23	अनुलग्नक – IV	74

आयोगः–

1.1 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा0 एस0 ई0 आर0 सी0) का गठन वर्ष 2002 में झारखण्ड सरकार द्वारा नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अनुरूप किया गया और अध्यक्ष के शपथ लेने के उपरांत 24 अप्रैल 2003 से परिचालित हुआ।

1.2 आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं। डॉ अरबिंद प्रसाद को 17.07.2017 को जेएसईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, श्री रवीन्द्र नारायण सिंह 05.02.2016 को सदस्य (तकनीकी) और श्री प्रवास कुमार सिंह को 03.06.2019 को माननीय अध्यक्ष डॉ अरबिंद प्रसाद द्वारा सदस्य (विधि) के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

माननीय डॉ अरविंद प्रसाद, अध्यक्ष के समक्ष श्री प्रवास कुमार सिंह पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए

1.3 आयोग का कार्यालय

झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड विद्युत नियामक आयोग को अपने कार्यालय निर्माण के लिए हिनू, राँची में 0.78 एकड़ भूमि आवंटित किया है। झारखण्ड सरकार ने फरवरी 2012 में झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (जेएचपीसीएल), राँची को ग्रीन भवन परियोजना का कार्य एवं आयोग के प्रस्तावित कार्यालय भवन के निर्माण का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। जेपीएचसीएल ने भवन निर्माण योजना और विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डीपीआर) तैयार की और प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा है। तत्पश्चात् सरकार द्वारा एजेंसी बदल दी गयी और इस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (जेएसबीसीसीएल) को सौंपी गई, जिसने भवन निर्माण परियोजना व डीपीआर में संशोधन कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है। यह विषय सरकार के प्राथमिकता में है।

वर्तमान में झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग उत्पाद भवन के दूसरे तल्ले कांके रोड रांची के परिसर में काम कर रहा है । दिनांक १४.०८.२०२० तक झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग का कार्यलय सैनिक बाजार मेन रोड रांची में स्थित राजेंद्र जवान भवन के किराये के परिसर में काम कर रहा था

<u>उद्देश्य वक्तव्य</u>

आयोग थोक ऊर्जा बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, निवेश को बढ़ावा देने का इरादा रखता है और मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को पाटने व उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बाधाओं को हटाने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आयोग के निम्नलिखित लक्ष्य हैः–

- एक कुशल शुल्क व्यवस्था का प्रतिपादन व समयबद्ध निपटान को सुनिक्षित करना, त्वरित व समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करना, थोक ऊर्जा और संप्रेषण सेवाओं के मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा, अल्पव्यय और दक्षता को बढ़ावा देता है तथा कम से कम लागत निवेश सुनिश्चित् करता है।
- अन्तर राजकीय संप्रेषण का खुले तौर पर उपयोग को सरल बनाना।
- अन्तर राजकीय व्यापार को सरल बनाना।
- ऊर्जा बाजार के विकास को बढ़ावा देना।

- सभी हितधारकों के लिए सूचना पहुँच में सुधार करना।
- थोक ऊर्जा एवं संप्रेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धा के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी व संस्थागत परिवर्तन को सरल बनाना।
- पर्यावरण बचाव और सुरक्षा चिंताओं एवं मौजूदा विधायी आवश्यकताओं के दायरे के अंतर्गत पूंजी व प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास की बाधाओं को दूर करने हेतु सलाह देना, जो कि बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पहला कदम है।

1.3 मार्गदर्शक सिद्धांत

अपने लक्ष्य वक्तव्य एवं इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आयोग निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करता है:–

- प्रतिभागियों को पर्याप्त एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से लाए गए मतभेदों के निवारण में न्यायसंगत बने रहना।
- एक तरफ विचारों मे निरंतरता बनाकर नियम निश्चितता बनाए रखना और दूसरी तरफ उद्विकासी ऊर्जा क्षेत्र में बदलावों के अपनाने हेतु खुला विचार रखना।
- यह सुनिश्चित् करने के लिए कि नियम हिस्सेदारों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, अपने नियमों के निर्माण में एक हिस्सेदारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया को अपनाना।
- विनियामक एवं बाजार आधारित तंत्र का उपयोग का ऊर्जा क्षेत्र में संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन को सुनिश्चित् करना।
- ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय स्त्रोतों को बढ़ावा देकर सतत विकास को प्रोत्साहित करना।

1.4 उपभोक्ताओं के लाभ और ऊर्जा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में नियामक प्रक्रियाओं का परिणाम

उपभोक्ताओं को लाभ

झा० एस० ई० आर० सी० के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक, उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्त्ताओं समेत, नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है, साथ ही सभी हितधारकों के प्रति निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ बने रहना है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए झा० एस० ई० आर० सी० द्वारा की गई पहल को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

पर्यावरण सुरक्षा के लिए हरित ऊर्जा

a) पर्यावरण सुरक्षा के लिए हरित ऊर्जा सक्षम प्रावधान बनाए गए जिसके आधार पर संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मौजूदा ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के आधार पर उत्पादन को बढ़ाया जाना था।

b) <u>ऊर्जा की गुणवत्ता</u>

विद्युत वितरण तंत्र अनुशासन के खिलाफ निवारक के रूप में कठोर अनुसूचित विनिमय शुल्क तय करता है। विद्युत वितरण तंत्र अनुशासन के लिए संप्रेषण उपयोगिता/भार प्रेषक के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी।

c) <u>हरित ऊर्जा का प्रचार</u>

- ❖ हरित ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय स्त्रोत जैसे सूर्य, पवन, जल, ज्वार, पादपों, शैवाल एवं भूगर्भ ताप से उत्पन्न की जाती हैं। ये ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय हैं, अर्थात् समय के साथ इनकी क्षतिपूर्ति होती है। इसके विपरीत, जीवाश्म ईंधन एक सीमित संसाधन है, जिसके विकसित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और जो लगातार उपयोग से कम होता जाता है।
- ❖ जीवाश्म ऊर्जा की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का पर्यावरण पर अत्यन्त ही कम हानिकारक प्रभाव डालते है। जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस बनाते हैं जिसके कारण जलवायु में हानिकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने के लिए आमतौर पर खनन या पृथ्वी की गहरी भेदन करनी पड़ती है, जो कि अक्सर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं।
- ❖ वहीं, हरित ऊर्जा, उन ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करती है जो पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध हैं और उन ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं, जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगातार हो रहे तकनीकी सुधारों के कारण सौर पैनलों, पवन चक्कों एवं हरित ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों की कीमतों में कमी आई है, जिसके कारण तेल, गैस, कोयला व अन्य कंपनियों के स्थान पर लोगों के हाथों में विद्युत उत्पादन करने की क्षमता का विकास हो रहा है।
- ❖ हरित ऊर्जा सभी मुख्य क्षेत्रों जैसे विद्युत उत्पादन, जल व अंतरिक्ष ताप और वाहनों के लिए ईंधन में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकती है।

2. हमारे अध्यक्ष – सम्माननीय डॉ0 अरबिन्द प्रसाद

डॉ0 अरबिन्द प्रसाद को झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा0 एस0 ई0 आर0 सी0) के अध्यक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ दिनांक 17.07.2017 को झारखण्ड की राज्यपाल महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई।

डॉ0 अरबिन्द प्रसाद मई 2012 से मई 2016 तक भारतीय वाणिज्य मण्डल और उद्योग संघ (एफआईसीसीआई) के महानिदेशक रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया और भारतीय तकनीकी ब्यूरो की कार्यकारी समिति और सीएजी के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड पर दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य रहे हैं।

डॉ0 अरबिन्द प्रसाद को भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार में एक आईएएस अधिकारी (सितंबर 1980 से अप्रैल 2012) के रूप में 30 वर्षो से ज्यादा का काम करने का अनुभव प्राप्त है। भारत सरकार में, उन्होंने एक वरिष्ठ सलाहकार (शक्ति और ऊर्जा), योजना आयोग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर काम किया। वे न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) एवं भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनि) के निदेशक मण्डल में भी कार्यरत थे।

राज्य सरकार में, विभिन्न अन्य कार्य के अलावा, उन्होंने ऊर्जा विभाग तथा संस्थागत वित्त विभाग एवं योजना कार्यान्वयन में सरकार के सचिव, के रूप में कार्य

किया। उन्होनें पटना के प्रभागीय आयुक्त तथा पटना एवं सहरसा के जिला दण्डाधिकारी के रूप में भी कार्य किया।

वे ''ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंज (एलएनएमआई) के निदेशक भी रहे ।

डॉ0 प्रसाद ने आईआईटी, कानपुर (1974–79) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया तथा येल विश्वविद्यालय यूएसए से 1994–98 के दौरान स्नातकोत्तर एवं पीएचडी (प्रबंधन) किया।

उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर्वोत्तकृष्ट छात्र घोषित किया गया और आईआईटी, कानपुर द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। येल विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने येल विश्वविद्यालय फैलोशिप प्राप्त किया।

डॉ0 प्रसाद ने भारत के आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक सुधारों की नीति एवं नीतियों से संबंधित विषयों पर अनेकों लेख प्रकाशित किए हैं।

3. माननीय श्री रवीन्द्र नारायण सिंह, सदस्य (तकनीकी) की लोकछवि।

माननीय श्री आर एन सिंह सदस्य (तकनीकी), झा0 एस0 ई0 आर0 सी0, राँची, का जन्म 10 जनवरी 1956 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1981 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और आईआईएम, राँची से पीजीडीएम (कार्यपालक) इन ऑपरेशल रिसर्च की डिग्री प्राप्त की।

उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अल्पावधि के लिए व्याख्याता के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक कार्यकारी अभियंता का पदभार संभाला और उसके बाद झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (वर्तमान में जेयूएसएनएल) में मुख्य अभियंता के सर्वोच्च पद पर असीन हुए। अपने 32 वर्षो के कार्यकाल में उन्होंने विभिन्न विभागों जैसे विद्युत उत्पादन, संप्रेषण, संरक्षण व निर्माण कार्यो में अपना योगदान दिया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने उनकी लगन एंव उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रशंसा प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया।

वे पॉवर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी (भारत सरकार का उपक्रम) बदरपुर, (210 MW थर्मल पावर का सीमुलेटर ट्रेनिंग), नैवेली एव तूतीकोरिन (तमिल नाडू) द्वारा संचालित छः महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया।

वे आईआईएम, राँची द्वारा आयोजित ''इनक्लजिव एण्ड इम्पेक्टफुल सीएसआर'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। सतत विकास के विषय पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए रियो+20 इंडिया प्रमाणपत्र कार्यक्रम के सफल समापन पर उन्हें उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दिया गया है।

उन्हें प्रबंधन अनुरूपण, यूएसए की ओर से भागीदारी और कैप्सटन व्यापार अनुरूपण कार्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र मिला। उन्होंने **स्मार्ट ग्रीड** प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भागीदारी की।

दुमका (ट्राँसमिशन जोन) के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता के पद पर रहते हुए कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण, दृढ़ नेतृत्व व असाधारण कौशल के द्वारा उन्होंने इंटर–स्टेट ईएचटी लाइन, रूपनारायणपुर–दुमका तथा अन्य लाइनों के साथ साथ ग्रिड सबस्टेशनों को समय पर पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिकूल परिस्थिति में भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड द्वारा उन्हें सराहना पत्र से सम्मानित किया गया।

4. माननीय श्री प्रवास कुमार सिंह, सदस्य (विधि) की लोकछवि।

माननीय सदस्य ने पद एवं गोपनीयता के शपथ के उपरान्त सदस्य (विधि) का पद दिनांक 03 जून 2019 को ग्रहण किया। सिविल कोर्ट पटना में प्रेकटिस के उपरान्त साल 1986 में माननीय सदस्य ने विहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में प्रवेष किया।

इन्होने छपरा, भागलपुर, मधुवनी, नालन्दा और जमषेदपुर में अपना योगदान दिया । इन्होंने मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के रूप में राँची एवं लोहरदगा में भी अपना योगदान दिया ।

इन्हें साल 2011 में जिला न्यायाधीष के रूप में पदोन्नति मिली एव स्पेषल न्यायाधीष सी0 बी0 आई0 के रूप में कार्य करने का अवसर मिला । लोहरदगा एवं गोड्डा जिला में प्रधान जिला सत्र न्यायधीष के रूप में कार्यरत रहें। झारखण्ड सरकार में प्रधान सचिव (विधि)सह विधि परामर्षी के रूप में अन्यान्य कानून का गठन तथा विधिक परामर्ष इनके कार्यकाल में हुआ।

अपने स्पेषल न्यायाधीष सी0 बी0 आइ0 के कार्यकाल में इन्होने एतिहासिक निर्णय RC 20A/96 लिया। इस निर्णय के कारण दो माननीय सांसद एवं कई माननीय विधायकों ने अपनी सदस्यता गॅवाई । यह राष्ट्र का पहला न्यायिक फैसला था जिसमें कई माननीय अपनी सदस्यता से वंचित हुए। इस केष में कई भारतीय प्रषासनिक पद के अधिकारियों एवं उच्च पद धारियों पर भी आरोप सिद्ध हुआ ।

माननीय उच्च न्यायालय ने Criminal Appeal No. 802/16 में इनके Victim Componastion Scheme को लागू करने के नवीन सूझाव की सराहना की और इनके सेवा अभिलेख में समाहित का भी दिषा निर्देष भी जारी किया ।

5. आयोग के उद्देश्य

आयोग से झारखण्ड राज्य में विद्युत उद्योग के विकास के लिए उचित कदम उठाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा शुल्क का तर्क संगतकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

6. आयोग के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियाँ

राज्य विद्युत विनियामक आयोग के कार्य विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 84 में दिये गये है, जो निम्नलिखित हैः–

1. राज्य आयोग को–

a) विद्युत उत्पादन–दर, आपूर्ति, संप्रेषण और विद्युत के वितरण के लिए थोक एवं खुदरा (जैसा भी मामला हो) राज्य के अन्दर शुल्क निर्धारण करना होगा।

बशर्ते कि धारा 42 के तहत वैसे उपभोक्ताओं की एक श्रेणी, (यदि कोई हो तो) जिन्हें खुले उपयोग की अनुमति दी गई है, राज्य आयोग उन पर केवल वितरण और अधिभार शुल्क निर्धारित करेगा।

b) वितरक लाइसेंस धारकों द्वारा विद्युत खरीद और खरीद प्रक्रिया विनियमित करेगा, साथ ही उत्पादक कम्पनियों या अन्य लाइसेंसधारकों या अन्य स्रोतों से अनुज्ञप्तिपत्रों द्वारा राज्य के अन्दर विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति के लिए विद्युत के खरीद के मूल्य को निर्धारित करना होगा।

c) अंतर राजकीय विद्युत संप्रेषण एंव विद्युत वितरण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

d) राज्य के भीतर उन व्यक्तियों को जो संप्रेषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी एवं विद्युत व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहते है, उन्हें लाइसेंस निर्गत करना होगा।

e) नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत वितरण तंत्र (ग्रिड) से संयोजकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय प्रदान करना होगा तथा किसी वितरक लाइसेंसधारी के क्षेत्र में ऐसे स्रोतों से उत्पन्न विद्युत की कुल मात्रा जो किसी व्यक्ति को बेची व खरीदी जाती है, उस क्षेत्र के कुल विद्युत खपत के प्रतिशत में उल्लेखित करना होगा।

f) लाइसेंस धारकों के बीच, और उत्पादक कम्पनियों के बीच उत्पन्न विवादों का न्याय निर्णयन करना तथा किसी भी विवाद में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना होगा।

g) इन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लेवी शुल्क की उगाही करनी होगी।

h) धारा 79 के उपधारा (1) के खण्ड (एच) के तहत निर्दिष्ट विद्युत वितरण तंत्र नियमावली के साथ संगत राज्य विद्युत वितरण तंत्र नियमावली को निर्दिष्ट करना होगा।

i) लाइसेंस धारकों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करना होगा।

j) यदि आवश्यक हो तो विद्युत के अंतराजकीय व्यापार में मुनाफा को निर्धारित करना होगा और

k) इस अधिनियम के अंतर्गत, इस तरह के अन्य कार्यो का निर्वहन करना होगा।

2. **राज्य आयोग को इनमें से सभी या किसी भी मामले में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा, यथाः–**

i) विद्युत आयोग के विभिन्न गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, कार्य कुशलता एवं मितव्ययता को प्रोत्साहित करना,

ii) विद्युत उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना,

iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुनः संगठन और पुर्नगठन करना

iv) विद्युत उत्पादन, संप्रेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या किसी भी अन्य मामलों को, जो सरकार द्वारा राज्य आयोग को संदर्भित किया जाये,

3. राज्य आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित् करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।

4. अपने कार्यो के निर्वहन में राज्य आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत् प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना एवं शुल्क नीति द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

7. आयोग के विनियमन

आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 में प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए विनियमन बनाए गए हैं। आयोग पूरी तहत से परामर्शित एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा अपने सभी विनियमनों को तैयार करता है। ड्राफ्ट अवधारणा पत्र, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं और सभी हितधारकों, बिजली उपयोगिता, उपभोक्ताओं और विद्युत उद्योग

में शामिल अन्य सभी संस्थानों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते है। उसके बाद आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई होती है जिसमें सभी हितधारकों को टिप्पणियां करने और सुझाव देने के लिए एक और मौका दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर विनियमनों को अंतिम रूप दिया जाता है, अधिसूचित किया जाता है और अंत में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

आयोग ने अब तक निम्नलिखित विनियमन बनाए एवं अधिसूचित किए हैं:–

i) झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 (राज्य परामर्शदात्री समिति) विनियमन, 2003

ii) झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 (वित्तीय शक्तियों की व्याख्या) विनियमन, 2004

iii) झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 (अंतरराजकीय संप्रेषण एवं वितरण में स्वच्छन्दता), विनियमन, 2005

iv) झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 (वितरण लाइसेंस की स्थिति) विनियमन, 2005

v) झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 (अंतरराजकीय व्यापार लाइसेंस देने की प्रक्रिया, नियम और शर्ते) विनियमन, 2006

vi) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए वितरक लाइसेंस धारक द्वारा वसूला गया क्रॉस सब्सिडी शुल्क सहित, शुल्क के निर्धारण के तरीकों और सिद्धान्तों के संबंध में विनियमन (संक्षेप में बिजली शुल्क के नियम और सिद्धान्त)

vii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (राज्य विद्युत वितरण तंत्र नियमावली) विनियमन, 2008

viii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियमन, 2010

ix) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (फोटोवोल्टिक ऊर्जा परियोजना तथा सौर उष्मीय ऊर्जा परियोजना से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क निर्धारण)

x) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अनुपालन लेखा परीक्षा) विनियमन, 2011

xi) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (स्थापना के लिए दिशा निर्देश तथा विद्युत लोकपाल के द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच स्थापना हेतु दिशा निर्देश) विनियमन, 2011

xii) राज्य विद्युतभार प्रेषित केंद्र द्वारा शुल्क और शुल्क के संग्रह का प्रारूप

xiii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत पूर्ति नियमावली) विनियमन, 2015

xiv) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (प्रमाणिक प्रदर्शन) विनियमन, 2015

xv) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (रूफटॉप सौर पीवी विद्युत वितरण तंत्र पारस्परिक प्रणाली और शुद्ध/सकल मापक) विनियमन, 2015

xvi) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (निर्धारित शुल्क की वितरण की शर्ते तथा दशाएँ) विनियमन, 2015

xvii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (प्रसारण शुल्क की वितरण की शर्ते तथा दशाएँ) विनियमन, 2015

xviii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (प्रसारण शुल्क की उत्पादन की शर्ते तथा दशाएँ) विनियमन, 2015

xix) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (हवा, बायोगैस, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क के निर्धारण और व्युत्पन्न ईंधन आधारित विद्युत परियोजना) विनियमन, 2016

xx) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (लघु जल शुल्क) विनियमन, 2016

xxi) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पवन और सौर ऊर्जा के लिए निर्धारण और पूर्वानुमान) विनियमन, 2016

xxii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा का खरीद दायित्व और अनुपालन) विनियमन, 2016

xxiii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा नियामक लेखांकन) विनियमन, 2016

xxiv) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बायोमास और वाष्पीकरण आधारित परियोजनाओं और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क का निर्धारण) विनियमन, 2016

xxv) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सौर पीवी परियोजना और सौर तापीय ऊर्जा परियोजना से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क का निर्धारण) परियोजना, 2016

xxvi) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्य खुला संचरण) विनियमन, 2016

xxvii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार का संचालन) विनियमन, 2016

xxviii) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति कोड) संशोधन विनियमन, 2018

xxix) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा) विनियमन, 2018

xxix) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (रूफटॉप सौर पीवी विद्युत वितरण तंत्र पारस्परिक प्रणाली और शुद्ध/सकल मापक) संशोधन विनियमन, 2019

xxx) झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (समानांतर लाइसेंसधारियों का संचालन) विनियमन, 2019

8. शुल्क का निर्धारण

आयोग अपने कर्तव्य के निर्वहन में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 द्वारा निर्धारित शुल्क निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित करता है–

i) उत्पाद कंपनी द्वारा वितरण कंपनी के लिए विद्युत की आपूर्ति

ii) विद्युत का संप्रेषण

iii) विद्युत का वितरण

iv) विद्युत की खुदरा बिक्री

आयोग अपने नियमों की अधिसूचना का निर्धारण पूरी तरह से एक सलाहकारी, संवादमूलक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत् शुल्क का आदेश जारी करता है।

आयोग अपने विनियमन में अधिकथित एक वार्षिक कार्यक्रमानुसार सभी उत्पादन संस्थाओं और अनुज्ञप्तिधारियों के लिए शुल्क की याचिका की पृष्ठभूमि तैयार करता है। सभी हितधारकों की टिप्पणियां शुल्क याचिकाओं के संबंध में आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद सार्वजनिक सुनवाई निरपवाद रूप से आयोजित किया जाता है। यह सार्वजनिक सुनवाई जनादेश विद्युत अधिनियम 2003 में उपयुक्त एवं संतुलित शुल्क के निर्धारण के लिए लोगों से राय, सुझाव और आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु सबसे उपयुक्त मंच है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संदर्भ में, पूरे राज्य में न्यूनतम पाँच जगहों पर लोक सुनवाई की जाती है। इस पारदर्शी सलाहकारी प्रक्रिया के पूर्ण होने के

उपरांत अंतिम रूप से निर्णित शुल्क आदेश को अधिसूचित कर आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है।

9. सूचना का प्रसार

आयोग अपने उपलब्ध सूचना को जनता तथा हितधारकों के लिए समाचार पत्रों तथा आयोग के कार्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित करता है।

10. राज्य सलाहकार समिति

आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 87 के तहत आवश्यतानुसार, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है।

10.1 राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य

आयोग को सलाह देने के लिए

क) प्रमुख नीतिगत मुद्दे,

ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामला,

ग) अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा उनके लाइसेंस की शर्त्तो और आवश्यकताओं के अनुपालन,

घ) उपभोक्ता हितों की सुरक्षा,

ङ) उपयोगिता आधारित विद्युत की आपूर्ति और प्रदर्शन के समग्र मानक

10.2 पांचवा राज्य सलाहकार समिति 27 दिसंबर 2018 को दो वर्षो के लिए गठित किया गया है ।

पांचवी राज्य सलाहकार समिति की स्थापना

अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग – पदेन अध्यक्ष

सदस्य (तकनीकी), झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग – पदेन सदस्य

सदस्य (तकनीकी), झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग – पदेन सदस्य

सचिव, ऊर्जा विभाग – पदेन सदस्य

राज्य सलाहकार समिति के निम्न सदस्य है–

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।

3. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
4. मुख्य प्रबंध निदेशक, दामोदर घाटी निगम, कोलकाता या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
5. प्रबंध निदेशक, जुस्को, जमशेदपुर या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
6. प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
7. प्रबंध निदेशक, सेल/बोकारो इस्ताप संयंत्र, बी0एस0सीटी या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
8. प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, हिनू, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
9. महाप्रबंधक (विद्युत), टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर।
10. मुख्य विद्युत वितरण अभियंता, दक्षिण–पूर्व रेलवे, कोलकाता।
11. निदेशक, झारखण्ड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
12. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, राँची।
13 विभाग के प्रमुख, ऊर्जा विभाग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड ।
14. अध्यक्ष, ऑल इण्डिया चेम्बर्स ऑफ कंज्यूमर, पं0 सिंहभूम, चाईबासा।
15. निदेशक, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रांची या उनके प्रतिनिधि ।
16. अध्यक्ष/सचिव, झारखण्ड स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राँची ।
17. अध्यक्ष, लोक प्रेरणा – समाधान , बेलाबगान, डाबरग्राम, देवघर–814142 ।
18. अध्यक्ष, पलामू चौम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज , प्रदीपकुन्ज , सेवा सदन, मेदनीनगर पलामू ।
19. श्रीमती हेमलता उराँव, ग्राम – मूर्तो, पी.ओ – सिलगई, चान्हो, रांची ।

वार्षिक वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित बैठक

	दिनांक	स्थान
1.	31.01.2019	होटल मैपलवुड, रांची
2	05.09.2019	झ.रा.वि. नि.आ के सभागार
3	26.02.2020	झ.रा.वि. नि.आ के सभागार

11. विद्युत आपूर्ति नियमावली चयनक समीक्षा समिति का संविधान

आयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति नियमावली चयनक समीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित कार्यो के लिए किया गया है–

अ) नियमावली के कार्यान्वयन के बारे में लाइसेंस धारकों, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों के विचारों पर विचार करना।

ब) आपूर्ति की शर्तों के साथ लाइसेंसधारियों द्वारा अनुपालन का आंकलन करने के लिए।

स) उपभोक्ता हितों की रक्षा और लाइसेंसधारकों के समग्र प्रदर्शन सुनिश्चित/निगरानी करने के लिए।

द) नियमावली के कार्यान्वयन में वितरण लाइसेंसधारकों या उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी परिचालन समस्याओं की समीक्षा करना।

वर्तमान विद्युत आपूर्ति नियमावली चयनक समीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य है–

1. मुख्य अभियंता (सी एण्ड आर), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे0 बी0 वी0 एन0 एल0)
2. मुख्य (ऊर्जा प्रबंधक) टाटा स्टील लिमिटेड (टी एस एल)
3. महाप्रबंधक (ऊर्जा सेवा विभाग), जमशेदपुर यूटिलिटि एण्ड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (जे0यू0एस0सी0ओ0)
4. मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक), दामोदर घाटी निगम
5. उपमहाप्रबंधक (टी0 ए0 विद्युत) भारतीय इस्पात संयंत्र लिमिटेड, बोकारो
6. मुख्य अभियंता (टी एण्ड ओ0 एम0), राँची, झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड (जे0 यू0 एस0 एन0 एल0)

7. मुख्य अभियंता (एस एल डी सी/यू एल डी सी), झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड (जे0 यू0 एस0 एन0 एल0)
8. वरीष्ठ उपमहाप्रबंधक (पी एस डी), हेवी इंजीनियरिंग कंपनी।
9. मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता।
10. अध्यक्ष, फेडरेशन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज
11. मुख्य सचिव, संथाल परगना, लघु उद्योग संगठन
12. मुख्य सचिव, धनबार फ्लोर मिल्स संगठन, देवघर
13. निदेशक, छोटानागपुर रोप वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

12. वर्ष 2018–19 में पारित किये गए प्रमुख निर्णय और आदेश

(क) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

पूर्व के JSEB को मान्यता देने हेतु झारखंड सरकार के निर्णय के आलोक में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत झारखंड बिजली वितरण विकास निगम लिमिटेड को निगमित किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 131 के साथ गठित पार्ट XIII – बोर्ड का पुनर्गठन के आलोक में झारखंड सरकार ने JSEB का पुनर्गठन किया था। JBVNL झारखंड सरकार के सामान्य संकल्प, जो कि अधिसूचना सं. 8 के द्वारा हस्तांतरण योजना के रूप में अधिसूचित है, के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित किया गया था। यह कंपनी रजिस्ट्रार रॉची के यहाँ विधिवत रूप से पंजीकृत है और 28 नवम्बर 2013 को कार्य करने का प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है। JBVNL विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड में विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्ति धारक है।

आयोग ने वित्त वर्ष 2011-12 **से** 2013-14 **के वित्तीय वर्ष** 2013-14 **के लिए** (05 **जनवरी** 2014 **तक**) **और वित्त वर्ष** 2013-14 **के लिए जेबीवीएनएल** (6 **जनवरी** 2014 **से** 31 **मार्च** 2014) **के वित्त वर्ष** 2015-16 **के वार्षिक प्रदर्शन के लिए आदेश जारी किए। वित्तीय वर्ष** 2016-18 **के लिए पुनरीक्षित एआरआर और टारिफ के वित्तीय वर्ष** 2016-17 **के वितरण की समीक्षा** ।

आयोग ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप पर आदेश को भी अधिसूचित किया ।

वित्त वर्ष 2011–12 से वित्त वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू–अप एआरआर

निम्न तालिकाएँ वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्त वर्ष 2015–16 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित के अनुसार ट्रू–अप एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं।

आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्त वर्ष 2013–14 के लिए एआरआर (in Rs Cr)

Particulars	FY12	FY13	FY14 (till 5 Jan 2014)
Power Purchase Cost	2,530.01	3,001.74	2,502.94
Generation Cost	237.84	291.61	244.70
Transmission Cost	90.72	88.06	72.59
O&M Expenses	240.32	258.34	220.81
Depreciation	52.03	49.96	48.56
Interest on Loan	20.62	34.83	38.01
Return on Equity	34.13	43.50	42.29
Interest on Working Capital	5.02	7.81	-
Interest on Security Deposit	22.68	24.10	21.30
Less: Non-Tariff Income	85.70	110.67	67.04
Gross ARR	**3,147.67**	**3,689.29**	**3,124.16**
Revenue Realised from Sales	**2,229.05**	**2,615.96**	**2,128.70**
Revenue Gap	**918.62**	**1,073.34**	**995.46**
Less: RGF Considered	**750.00**	**1,100.00**	**455.50**
Net Gap	**168.62**	**(26.66)**	**539.96**

वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्त वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर आयोग द्वारा अनुमोदित (in Rs Cr)

Particulars	FY14 (from 6 Jan 2014)	FY15	FY 16
Power Purchase Cost	1,110.0	4,648.60	5,197.50
Transmission Cost	30.07	126.94	138.67
Less: Cost Disallowed	207.70	752.43	448.68
O&M Expenses	71.48	251.03	288.10
Depreciation	28.46	163.95	147.88
Interest on Loan	13.11	162.77	197.96
Return on Equity	12.39	124.60	135.77
Interest on Working Capital	-	9.90	24.17
Interest on Security Deposit	5.53	42.19	44.66
Less: Non-Tariff Income	22.32	70.74	74.31
Gross ARR	**1041.02**	**4,706.81**	**5,651.74**
Penalty Imposed	**-**	**-**	**115.83**
Revenue Realised from Sales	**652.21**	**2,786.64**	**2,866.65**
Less: RGF Considered	**325.62**	**1,354.20**	**1,151.31**
Net Gap	**63.19**	**565.97**	**1,517.95**

वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत एआरआर

निम्नलिखित तालिका में आयोग द्वारा अनुमोदित के रूप में याचिकाकर्ता के अनुमानों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए APR प्रदर्शन, वित्त वर्ष 2017–18 और वित्त वर्ष 2018–19 के आधार पर सकल राजस्व आवश्यकता

आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर (in Rs Cr)

Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19
Power Purchase cost	5223.19	5,081.82	4,833.48
Transmission charges	185.40	160.16	207.80
Less: Disallowed cost due to excess T&D Loss	263.63	-	-
O&M expenses	324.08	408.31	465.14
Employee Expenses	213.21	221.46	230.07
A&G Expenses	56.83	59.31	61.89
R&M Expenses	54.04	127.54	173.18
Depreciation	203.03	222.57	294.22
Interest on Loan	144.46	144.76	169.39
Return on Equity	143.86	166.59	202.28
Interest on Working Capital	25.47	24.25	12.12
Interest on security deposit	49.14	44.80	52.74
Provision for doubtful debts	-	-	-
Less: Non-Tariff Income	128.62	135.05	141.80
Gross ARR	906.38	6,118.22	6,097.90

The Commission has determined category wise retail tariff for FY 2019-20, as depicted in the following table:

Summary of Approved Tariff for FY 2018-19

Category	Sub-Category	Approved Component of Tariff (FY 18-19)	
		Energy Charges	Fixed Charges
Domestic	Kutir Jyoti	4.40/ kWh	20 / Conn./ Month
	Rural (Metered)	4.75/ kWh	35 / Conn./ Month
	Rural (Un-metered)	-	250 / Conn./ Month
	Urban	5.50 / kWh	75 / Conn./ Month
	HT	5.25/kVAh	200 / kVA / Month
Commercial	Rural (Metered)	5.25 / kWh	60 / Conn./ Month
	Rural (Un-metered)	-	300 / kW/ Month
	Urban	6.00 / kWh	225 / Conn./ Month
Streetlight (Metered)		6.00 / kWh	100 / Conn./ Month
Streetlight (Un-metered)		-	500 per 100 watt/month
Irrigation and Agriculture (Metered)		5.00 / kWh	20 / HP/ Month

Irrigation and Agriculture (Un-metered)		-	400 / HP/ Month
Industrial	LTIS (Demand Based)	5.50 / kWh	160 / kVA / Month
	LTIS (Installation Based)	6.50 / kWh	160 / HP / Month
	HTIS	5.75 / kVAh	300 / kVA / Month
	HTSS	4.00 / kVAh	500 / kVA / Month
Institutional	RTS, MES, Other distribution licensee/ Deemed Licensee	4.60 / kVAh	350 / kVA / Month

ARR Approved for FY 2016-17 to FY 2019-20

The following table summarizes the Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2016-17and FY 2017-18 based on the true-up performed, FY 2018-19 based on Annual Performance Review done and FY 2019-20 based on the projections of the Petitioner as approved by the Commission.

ARR for FY 2016-17 to FY 2019-20 as approved by the Commission (in Rs Cr)

Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20
Power Purchase Cost	5,059.63	5,242.67	5,020.25	5,396.25
Inter-State Transmission Charges	163.36	137.84	144.73	151.96
Intra-State Transmission Charges	140.45	150.03	253.01	326.73
Additional REC Purchase to meet RPO	-	-	108.16	128.65
O&M Expenses	324.08	346.45	443.14	526.31
Depreciation	193.42	169.85	160.64	254.12
Interest on Long Term Loan	141.78	127.81	155.81	229.05
Interest on Working Capital Loan	19.44	15.11	14.92	19.44
Interest on Consumer Security Deposit	42.12	46.05	49.72	57.61
Return on Equity	140.95	148.99	170.51	219.54
Total Expenses	**6,225.23**	**6,384.78**	**6,520.88**	**7,309.68**
Less: Non-Tariff Income	143.52	132.14	140.84	145.46
Add: Provision for Doubtful Debt				
ARR	**6,081.71**	**6,252.65**	**6,380.05**	**7,164.22**
Less: Disallowance due to excess Dist. Loss	278.61	205.28		
Less: Disallowance due to low collection eff.				
Net ARR	**5,803.10**	**6,047.36**	**6,380.05**	**7,164.22**
Less Penalties			127.60	
ARR Recoverable	**5,803.10**	**6,047.36**	**6,252.44**	**7,164.22**
Revenue from Sales	**2,715.73**	**3,160.22**	**4,953.25**	**6,270.03**
RGF provided by the State Govt.	1,200.00	3,000.00		
Less: Losses Disallowed	278.61	205.28		
RGF to be adjusted in Gap	921.39	2,794.72		
Gap After Subsidy	**2,165.98**	**92.43**	**1,299.20**	**894.19**

The Commission has estimated the revenue gap for FY 2019-20 as Rs. 692.70 Crore. The Commission has increased and rationalized the tariff across different consumer categories so that the above gap can be recovered through Revised Tariff. Tariff approved by the Commission for various categories has been discussed in detail in further sections of this Order. The Commission has determined category wise retail tariff for FY 2019-20, as depicted in the following table:

Summary of Approved Tariff for FY 2019-20

Category	Sub-Category	Approved Component of Tariff (FY 19-20)	
		Energy Charges	Fixed Charges
Domestic	Rural	5.75/ kWh	20 / Conn./ Month
	Urban	6.25 / kWh	75 / Conn./ Month
	HT	6.00/kVAh	100 / kVA / Month
Commercial	Rural	6.00 / kWh	40 / Conn./ Month
	Urban	6.25 / kWh	150 / Conn./ Month
Streetlight		6.25 / kWh	100 / kW/ Month
Irrigation and Agriculture		5.00 / kWh	20 / HP/ Month
LTIS		5.75 / kVAh	100 / kVA / Month
HT Services	High Tension Industrial Supply	5.50 / kVAh	350 / kVA / Month
	High Tension Special Service		
	Railway Traction Services		
	Military Engineering Services		
	Other distribution licensee/ Deemed Licensee		

ख) दामोदर घाटी निगम

दामोदर घाटी निगम एक वैधानिक निगम है जो दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निगमित है। यह विविध प्रकार का कार्य देखता है। विद्युत के संबंध में डीवीसी विद्युत उत्पादन का कार्य करती है और इस हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 2 (28) के तहत विद्युत उत्पादन कंपनी का संचालन करती है। विद्युत की आपूर्ति खुदरा बिक्री के संबंध में डीवीसी संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र को आच्छादित करती है जिसमें दो राज्य पश्चिम बंगाल और झारखण्ड आते हैं। इस तरह दामोदर घाटी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और खुदरा बिक्री हेतु शुल्क विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) के साथ गठित धारा 62 के प्रावधानों के द्वारा अधिशासित होता है, संबंधित राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित होता हैं ।

The Commission notified Order on True-up for FY 2015-16 and ARR for MYT Period FY 2016-17 to FY 2020-21 and Determination of Tariff for FY 2016-17for Damodar Valley Corporation (DVC) on 18thMay 2018.

True-up for FY 2015-16

The following table summarizes the ARR for Jharkhand area as approved by the Commission's analysis for FY 2015-16.

Summary of ARR (Rs Crore) for Jharkhand Area for FY 2015-16 as approved by the Commission

Station/Item	Energy Charge	Fixed Charge
BTPS	357.13	182.55
CTPS	492.64	191.37
DTPS	217.63	127.81
MTPS 1 TO 3	357.06	209.03
MTPS 4	72.66	110.05
HYDEL	0.00	58.46
T&D	0.00	524.79
MTPS 5 & 6	183.28	137.95
MTPS 7 & 8	613.84	525.82
CTPS 7 & 8	19.41	15.62
DSTPS 1 & 2	614.84	517.55
KTPS U # 1 & 2	563.02	474.86
RTPS U # 1 & 2	71.41	0.00
BTPS 'A'	0.06	0.00
Power Purchase Cost	919.58	0.00
Tariff filling fees & publication expenses to CERC	0.00	4.64
Water cess	0.00	2.61
Non-Tariff Income	28.27	0.00
ARR (Jharkhand +West Bengal)	**4454.28**	**3083.12**
Ratio of sales in Jharkhand area	58.58%	58.58%
Jharkhand Component of Common ARR	**2609.43**	**1806.16**
Solar Power Purchased Cost (Jharkhand)	47.54	0.00
Interest on Working Capital	0.00	7.31
Interest on Security Deposit	0.00	1.39
Actual Tariff Filing Fees & Publication Expenses in JSERC	0.00	0.31
Net ARR for Jharkhand Area	**2656.97**	**1815.17**
TOTAL ARR (Jharkhand)		**4472.14**

ARR approved for FY 2016-17 to FY 2020-21

The following table summarizes the ARR approved by the Commission for Jharkhand of DVC for the period FY 2016-17 to FY 2020-21.

Summary of ARR (Rs Cr) for Jharkhand Area for 2nd Control period as approved by the Commission (Rs. Crore)

Components	FY 2016-17		FY 2017-18		FY 2018-19	
	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge
ARR before IoWC, Interest on SD & tariff filing fees	2862.56	1893.10	2897.01	2057.36	3135.09	2145.55
Cost of Solar & Non-Solar Power & REC Purchased	80.82	0.00	117.68	0.00	155.70	0.00

Components	FY 2016-17		FY 2017-18		FY 2018-19	
	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge
Interest on Working Capital	0.00	6.42	0.00	6.70	0.00	7.59
Interest on Security Deposit	0.00	1.84	0.00	1.99	0.00	2.16
Tariff Filing &Publication Expenses	0.00	0.97	0.00	0.78	0.00	0.46
Total Cost to Jharkhand	2943.38	1902.32	3014.69	2066.83	3290.79	2155.76
Total ARR Required	4845.71		5081.51		5446.55	
Revenue at existing tariff	5017.09		5230.59		5930.42	
Revenue gap/ (Surplus) at existing tariff	-171.38		-149.08		-483.87	

Components	FY 2019-20		FY 2020-21	
	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge
ARR before IoWC, Interest on SD & tariff filing fees	3251.88	2281.75	3472.04	2462.52
Cost of Solar & Non-Solar Power & REC Purchased	185.02	0.00	196.33	0.00
Interest on Working Capital	0.00	8.02	0.00	8.49
Interest on Security Deposit	0.00	2.38	0.00	2.61
Tariff Filing &Publication Expenses	0.00	0.47	0.00	0.48
Total Cost to Jharkhand	3436.89	2292.62	3668.38	2474.09
Total ARR Required	5729.52		6142.46	
Revenue at existing tariff	6267.64		6630.90	
Revenue gap/ (Surplus) at existing tariff	-538.12		-488.44	

Summary of Approved Tariff for FY 2016-17

Category	Sub-Category	Approved Component of Tariff (FY 19-20)	
		Energy Charges	Fixed Charges
Domestic	Rural/ Urban	4.50/ kWh	43 / Conn./ Month
	HT	4.00/kWh	150 / kVA / Month
Commercial	Rural/Urban	5.00 / kWh	190 / kW/ Month
Industrial	LTIS	4.20/kWh	100 / kVA / Month
	HTIS	3.45/kWh	380 / kVA / Month
Institutional	Streetlight	4.60 / kWh	100 / Conn./ Month
	Railway Traction Services	3.40/ kWh	380 / kVA / Month
	Military Engineering Services		
	Other distribution licensee/ Deemed Licensee		

ग) झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड **(जे0यू0एस0एन0एल0)** भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन झारखण्ड सरकार के पूर्व **जे0 एस0 ई0 बी0** के पूर्णगठन के निर्णय के अनुसार निगमित किया गया है।

जे0 एस0 ई0 बी0 का पूर्णगठन झारखण्ड सरकार के ''भाग – XIII – बोर्ड/समिति का पूर्णगठन'' विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 131 के साथ पढ़ा जानेवाला के अनुसार किया गया था। जे0यू0एस0एन0एल0 का गठन झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के अधीन, स्थानान्तरण योजना के रूप में सामान्य संकल्प के द्वारा अधिसूचना सं0–8, दिनांक 6 जनवरी 2014 हुआ और कम्पनियों के पंजीयक, राँची द्वारा विधिवत पंजीकृत है। जे0यू0एस0एन0एल0 दिनांक 23 अक्टूबर 2013 को कम्पनियों के पंजीयक, राँची द्वारा निगमित हुआ था और दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।

जे0यू0एस0एन0एल0 विद्युत अधिनियम, 2003 **(EA, 2003)** के प्रावधानों के अधीन एक संचरण अनुज्ञप्तिधारी है जिसे झारखण्ड राज्य में संचरण लाइनस स्थापित और संचालित करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त है और पूरे झारखण्ड राज्य में स्थित इसके उपभोक्तओं को विद्युत के संचरण के व्यवसाय में लगा हुआ है।

ARR as approved by the Commission for FY 2013-14&FY 2014-15 (Rs. Cr.)

Particulars	FY13-14	FY14-15
O&M Expenses	16.57	55.43
Depreciation Expenses	8.25	35.47
IFC	4.96	18.45
IoWC	1.38	5.24
RoE	5.50	23.62
Prior Period expenses	-	5.12
ARR	36.66	143.32
Less: NTI	2.49	7.75
Net ARR	34.17	135.57
Revenue at Existing Tariff	31.40	138.53
Revenue Gap/(Surplus)	2.77	(2.96)

The Commission approves the cumulative revenue surplus till FY 2017-18 as Rs. (0.58) Crore.

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड

JUUNL was incorporated on 23rd October 2013 with the Registrar of Companies, Jharkhand, Ranchi and obtained Certificate of Commencement of Business on 28th November 2013. JUUNL is a Company constituted under the provisions of Government of Jharkhand, General Resolution as notified by transfer scheme vide notification no. 8, dated 6thJanuary 2014.The Commission had approved the Business plan and determine the ARR for 2nd Control period including truing up for the period FY 2013-14 (Jan 06, 2014 to Mar 31, 2014), FY 2014-15 & FY 2015-16 on September 25, 2018.

ARR as approved by the Commission for FY 2013-14(Jan 06, 2014 to Mar 31, 2014),FY 2014-15 & FY 2015-16 (Rs. Cr.)

Particulars	FY13-14	FY14-15	FY15-16
O&M Expenses	3.60	15.65	12.57
Depreciation	0.40	1.70	1.62
Interest on Loan	1.03	4.26	4.01
Return on Equity	0.64	2.00	2.00
Interest on Working Capital	0.20	1.15	0.95
ARR	5.88	24.75	21.16
Less: NTI	-0.01	-0.05	-0.03
Annual Fixed charge	5.87	24.70	21.13
Plant Availability	100%	81.57%	60.79%
Capacity Charges	3.91	13.43	10.57

The Commission has approved the energy charges as Rs. 0.796 per unit, Rs. 0.780 per unit and Rs. 0.667 per unit for FY 2013-14, FY 2014-15 and FY 2015-16.

MYT approved by the Commission for FY 2016-17 to FY 2020-21 (Rs. Cr.)

Particulars	FY16-17	FY17-18	FY18-19	FY 19-20	FY 20-21
Depreciation	1.62	1.68	1.81	1.99	2.23
Interest on Loan	2.89	2.78	2.76	2.80	2.88
O&M Expenses	17.27	18.48	19.78	21.17	22.67
Return on Equity	2.00	2.05	2.15	2.30	2.49
Interest on Working Capital	1.04	1.11	1.18	1.26	1.35
Less: NTI	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Annual Fixed charge	24.78	26.06	27.65	29.48	31.57

The Commission hereby directs that the recovery of capacity and energy charges shall as per regulations 9.9 to 9.20 of the JSERC Generation Tariff regulations, 2015.

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

The Steel Authority of India Limited, Bokaro Steel Plant (SAIL, Bokaro) is a company incorporated in the year 1964 under the provisions of the Companies Act, 1956 and is a wholly owned subsidiary of Steel Authority of India Limited, New Delhi. SAIL, Bokaro is the sanction holder of power supply in Bokaro Steel City under section 28(1) of the erstwhile Indian Electricity Act 1910 and has been managing the power distribution in Bokaro steel city since its inception. The Commission had approved the Business plan and ARR for MYT Control period for 2nd Control period including truing up for the period from FY 2013-14 to FY 2015-16 on June 07, 2018.

ARR as approved by the Commission for FY 2013-14, FY 2014-15 & FY 2015-16 (Rs. Cr.)

Particulars	FY13-14	FY14-15	FY15-16
Power Purchase Cost	387.90	411.06	312.05
Employee Expenses	9.87	10.71	11.33
R&M Expenses	4.42	3.07	3.52
A&G Expenses	1.61	1.68	2.26
Depreciation	0.44	0.71	0.90
Interest on Loan	0.64	0.93	0.98
Return on Equity	0.57	0.73	0.81
Interest on Working Capital	5.48	5.77	3.55
ARR	410.94	434.65	335.39
Revenue	413.12	431.60	290.82
Revenue Gap/(Surplus)	(2.18)	3.05	44.57

ARR as approved by the Commission for 2nd Control period (Rs. Cr.)

Particulars	FY16-17	FY17-18	FY18-19	FY 19-20	FY 20-21
Power Purchase Cost	381.90	376.34	380.99	390.70	410.11
Employee Expenses	11.82	12.34	12.88	13.44	14.02
R&M Expenses	3.67	3.83	4.00	4.17	4.36
A&G Expenses	2.36	2.46	2.57	2.68	2.80
Depreciation	1.01	1.77	1.95	2.30	2.49
Interest on Loan	1.50	2.08	2.00	2.14	2.06
Return on Equity	1.31	1.77	1.89	2.11	2.22
Interest on Working Capital	4.85	4.81	4.73	4.88	5.12
ARR	408.44	405.40	411.01	422.42	443.17
Revenue	301.11	308.14	316.38	327.07	341.26
Revenue Gap/(Surplus)	107.33	97.26	94.62	95.35	101.92

The Commission has estimated the revenue gap till FY 2016-17 as Rs.152.77 Crore. The Commission after taking into due consideration the above aspects and keeping in mind the capital investment undertaken by SAIL, Boakro as well as the inflationary pressure on the costs over the years, has arrived at a conclusion to approve an overall hike of ~11.60%. The Tariff approved by the Commission for various categories is mentioned below.

Summary of Approved Tariff for FY 2016-17

Category	Sub-Category	Approved Component of Tariff (FY 19-20)	
		Energy Charges	Fixed Charges
Domestic	LT	3.25/ kWh	80 / Conn./ Month
	HT	2.75/kWh	90 / kVA / Month
Commercial	All Units	5.70 / kWh	140 / kW/ Month
Streetlight (Metered)		4.50 / kWh	40 / Conn./ Month
Streetlight (Un-metered)		-	150 per 100 watt& Rs. 45 for every additional 50 Watt
Irrigation and Agriculture		5.00 / kWh	20 / HP/ Month

Category	Sub-Category	Approved Component of Tariff (FY 19-20)	
		Energy Charges	Fixed Charges
Industrial	LTIS (Demand Based)	4.50 / kWh	210 / kVA / Month
	LTIS (Installation Based)	4.50 / kWh	110 / HP / Month
	HTS	5.40 / kVAh	230 / kVA / Month
Institutional	RTS, MES, Other distribution licensee/ Deemed Licensee	6.00 / kWh	350 / kVA / Month

जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड

Jamshedpur Utilities and Services Company Limited (JUSCO) is a company incorporated, in August 2003, under the provisions of the Companies Act, 1956 and is a wholly owned subsidiary of Tata Steel Limited (TSL). JUSCO has been incorporated primarily to cater to the infrastructure and power distribution services in the city of Jamshedpur. The Commission granted a Power Distribution License (No. 3 of 2006-07) to the JUSCO on December 1, 2006 for the revenue district of Saraikela –Kharsawan and began its power distribution services in September 2007 as a second distribution licensee. The Commission had approved the true-up for FY 2015-16, Annual Performance Review of FY 2016-17 and Annual Revenue Requirement for FY 2017-18 on June 07, 2018.

ARR as approved by the Commission for FY 2015-16 (Rs. Cr.)

Particulars	FY15-16
Power Purchase Cost	205.54
O&M Expenses	12.33
Depreciation	6.54
Interest & Finance Charges	9.88
Return on Equity	5.80
Less: Non-Tariff Income	0.30
Annual Revenue Requirement	239.79
Revenue	244.10
Add: Sharing of Gains/Loss	-0.94
Revenue Gap/(Surplus)	-4.86

ARR as approved by the Commission for FY 2016-17 & FY 2017-18(Rs. Cr.)

Particulars	FY16-17	FY17-18
Power Purchase Cost	213.22	225.43
O&M Expenses	13.31	13.75
Depreciation	6.96	7.15
Interest & Finance Charges	10.01	3.91
Interest on Security Deposit	-	5.33
Return on Equity	5.27	5.40
Less: Non-Tariff Income	0.31	0.12
Annual Revenue Requirement	248.45	260.85
Revenue	259.39	-

Particulars	FY16-17	FY17-18
Add: Sharing of Gains/Loss	-10.94	-
Revenue Gap/(Surplus)	213.22	-

The Commission has estimated a cumulative surplus of Rs. 8.01 Cr till FY 2017-18. Based on the approved ARR for FY 2017-18 of Rs. 260.85 Crore and estimated revenue from existing tariffs during FY 2016-17 of Rs. 281.75 Crore, the Commission approves a revenue surplus of Rs. 20.90 Crore for FY 2017-18. Adjusting the above surplus through tariff would have resulted in only marginal change in tariffs to the tune of ~2%. Rather, the Commission has undertaken a Tariff simplification exercise in the tariff Order.

Summary of Approved Tariff for applicable from June 01, 2018

Category	Sub-Category	Approved Component of Tariff	
		Energy Charges	Fixed Charges
Domestic	LT-Rural	2.50/ kWh	10 / Conn./ Month
	LT-Urban	3.00/ kWh	65 / Conn./ Month
	HT	2.65/kWh	50 / kVA / Month
Commercial	Rural	2.50 / kWh	-
	Urban	3.75 / kWh	125 / kW / Month
IAS		3.70 / kWh	20 / HP/ Month
Streetlight		5.00 / kWh	50 /Conn./Month
Irrigation and Agriculture		5.00 / kWh	20 / HP/ Month
Industrial	LTIS (Demand Based)	4.05 / kWh	170 / kVA / Month
	LTIS (Installation Based)	4.05 / kWh	125 / HP / Month
	HTS	5.15 / kVAh	195 / kVA / Month
	HTSS	3.75 / kVAh	365 / kVA / Month
Institutional	RTS, MES, Other distribution licensee/ Deemed Licensee	4.00 / kWh	160 / kVA / Month

टाटा स्टील लिमिटेड

Tata Steel Limited (TSL), formerly known as Tata Iron and Steel Company Limited (TISCO), is a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956. It has been distributing electricity in Jamshedpur under the license granted u/s 14 of the Electricity Act 2003. After notification of the JSERC (Terms and Conditions for Distribution Tariff) Regulation, 2004, action for issue of license for Jamshedpur town was initiated and subsequently the license was issued to Tata Steel Limited (TSL) on January 12, 2006 w.e.f. March 24, 2004.The area of power is bounded by river Subarnarekha in north, tracks of South Eastern Railways in south, eastern boundaries of Mouza Jojobera and Nildhand in east and river Kharkai in west. The Commission had approved the true-up for FY 2015-16, Annual Performance Review of FY 2016-17 and Annual Revenue Requirement for FY 2017-18 on May 18, 2018.

ARR as approved by the Commission for FY 2015-16 (Rs. Cr.)

Particulars	FY15-16
Power Purchase Cost	1246.12
O&M Expenses	79.43
Depreciation	28.89
Interest & Finance Charges	45.03
Return on Equity	21.49
Less: Non-Tariff Income	5.32
Add: Income tax on RoE for past periods and FY 2015-16	24.17
Annual Revenue Requirement	1439.80
Revenue	1466.65
Add: Sharing of Gains- O&M Expenses	15.40
Add: Sharing of Gains- Distribution Loss	8.64
Revenue Gap/(Surplus)	(2.81)

ARR as approved by the Commission for FY 2016-17 & FY 2017-18 (Rs. Cr.)

Particulars	FY16-17	FY17-18
Power Purchase Cost	1227.67	1265.55
O&M Expenses	68.84	70.41
Depreciation	33.80	29.83
Interest & Finance Charges	34.97	28.51
Return on Equity	21.83	22.18
Less: Non-Tariff Income	5.86	5.86
Annual Revenue Requirement	1381.25	1410.62
Revenue@ existing Tariff	1528.09	1872.52
Revenue Gap/(Surplus)	(146.83)	(461.90)

The Commission has estimated a cumulative gap of Rs. 945.37 Cr till FY 2017-18. The Commission has observed that the prevailing tariffs are sufficient to cover the annual costs of TSL. The cumulative gap is only on account of past unrecovered gaps/regulatory
assets which shall get liquidated in the next 2-3 years owing to yearly revenue surplus being earned by TSL at existing tariffs. However, the Commission has undertaken a tariff simplification exercise in the tariff Order.

Summary of Approved Tariff for applicable from May 01, 2018

Category	Sub-Category	Approved Component of Tariff	
		Energy Charges	Fixed Charges
Domestic	LT (0-100 units)	2.60/kWh	13 / Conn./ Month
	LT (Above 100 units)	4.55/kWh	30 / Conn./ Month
	HT	4.20/kWh	40 / kVA / Month
Commercial	Rural	6.25 / kWh	100 / Conn./ Month
	Urban	6.25 / kWh	100 / Conn. / Month
IAS		4.50 / kWh	20 / HP/ Month
Streetlight		4.90 / kWh	35 /Conn./Month

Category	Sub-Category	Approved Component of Tariff	
		Energy Charges	Fixed Charges
Irrigation and Agriculture		5.00 / kWh	20 / HP/ Month
Industrial	LTIS	5.00 / kWh	100 / kVA / Month
	HTIS	6.30 / kWh	320 / kVA / Month
Institutional	RTS, MES, Other distribution licensee/ Deemed Licensee	6.00 / kWh	350 / kVA / Month

Financial Year 2019-20

A) Damodar Valley Corporation (DVC)

Damodar Valley Corporation (DVC) is a statutory body incorporated under the Damodar Valley Corporation Act, 1948, having multifarious functions. Regarding the electricity, DVC undertakes generation of electricity and is therefore a generating company within the meaning of Section 2 (28) of the Electricity Act, 2003. With regards to the retail sale and supply of electricity, DVC covers the entire Damodar Valley area which falls in two contiguous States, namely, the State of West Bengal and the State of Jharkhand. Thus, tariff for retail sale and supply of electricity in the Damodar Valley area is governed by the provisions of Section 62 (d) read with Section 86 (1) of the Electricity Act, 2003 and has to be determined by the respective Electricity Regulatory Commissions in the states of West Bengal and Jharkhand.

The Commission has carried out the truing up for FY 2016-17, Annual Performance Review for FY 2017-18 & FY 2018-19 and ARR & Tariff for FY 2019-20 vide its Order dated May 28, 2019.

Summary of ARR approved by the Commission for FY 2016-17 (Rs. Crore)

Station/item	2016-17					
	MYT Order		Petition		Approved	
	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)
Cost of Own Generation	4,422.86	3,413.73	3,738.07	3,551.03	3,764.49	3,494.21
Power Purchase Cost (Incl. Trans. Charges & Excl. RE/REC Expense)	678.16		832.85		405.58	427.27
Tariff filling fees & publication expenses in CERC		4.93		5.11		5.11
Water cess		2.48		1.79		1.79
Rebate on Sale of Power			87.67			
Less Non Tariff Income (NTI)		47.68	198.25			198.25
Interest on Temporary Financial Accommodation			251.65			140.98
Total	**5,101.02**	**3,373.45**	**4,711.99**	**3,557.92**	**4,170.08**	**3,871.11**
Ratio of sales in Jharkhand part to total firm sale in entire DVC	56.12%	56.12%	57.17%	57.17%	57.17%	57.17%
ARR before IWC, Interest on SD & tariff filling fees in the licensed area of Jharkhand	**2,862.56**	**1,893.10**	**2,694.06**	**2,034.23**	**2,384.23**	**2,213.29**
Cost of Solar & Non Solar Power and REC Purchased to meet the solar & non solar RPO in the state of Jharkhand	80.82		75.74		75.74	

Station/item	2016-17					
	MYT Order		Petition		Approved	
	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)
Rebate on Sale of Power						24.56
Interest on Working Capital		6.42		96.95*		6.02
Interest on security deposit		1.84		1.05		1.05
Tariff Filing Fees & Publication Expenses in JSERC		0.97		0.89		0.89
Net ARR for Jharkhand	**2,943.38**	**1,902.32**	**2,769.80**	**2,133.13**	**2,459.96**	**2,245.83**
TOTAL ARR	**4,845.71**		**4,902.93**		**4,705.79**	
Particulars	**Quantum**		**Quantum**		**Quantum**	
Total ARR	**4845.71**		**4902.93**		**4705.79**	
Sale in Jharkhand (MU)	**11031.79**		**10361.15**		**10361.15**	
Avg Cost of Supply (Rs. / kWh)	**4.39**		**4.73**		**4.54**	

Summary of ARR as approved by the Commission for FY 2017-18 (Rs. Crore)

Station/item	FY 2017-18			
	MYT Order		Approved	
	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)
Cost of Own Generation	4,836.83	3,772.42	3,813.74	3,870.34
Power Purchase Cost (Including Transmission Charges and Excluding Renewable Energy Purchase/REC Expenses)	413.40		359.84	336.97
Tariff filling fees & publication expenses to CERC		5.00		5.21
Water cess		2.54		0.16
Less Non Tariff Income (NTI)		51.42		466.76
Interest on Temporary Financial Accommodation				307.26
Total	**5,250.23**	**3,728.54**	**4,173.57**	**4,053.17**
Ratio of sales in Jharkhand part to total firm sale in entire DVC	55.18%	55.18%	57.71%	57.71%
ARR before IWC, Interest on SD & tariff filling fees in the licensed area of Jharkhand	**2,897.01**	**2,057.36**	**2,408.38**	**2,338.90**
Cost of Solar & Non Solar Power and REC Purchased to meet the solar & non solar RPO in the state of Jharkhand	117.68		73.70	
Rebate on Sale of Power				29.48
Interest on Working Capital		6.70		6.12
Interest on security deposit		1.99		0.48
Tariff Filing Fees & Publication Expenses in JSERC		0.78		0.95

Station/item	FY 2017-18			
	MYT Order		Approved	
	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)
Net ARR for Jharkhand	**3,014.69**	**2,066.83**	**2,482.07**	**2,375.92**
TOTAL ARR	**5,081.51**		**4858.00**	
PARTICULARS	**QUANTUM**		**QUANTUM**	
Total ARR	**5081.51**		**4858.00**	
Sale in Jharkhand (MU)	**11441.68**		**10984.10**	
Avg Cost of Supply (Rs. / kWh)	**4.44**		**4.42**	

Summary of ARR approved by the Commission for FY 2018-19 (Rs. Crore)

Station/item	2018-19					
	MYT Order		Petition		Approved	
	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)
Cost of Own Generation	5,289.13	4,002.03	5,092.67	3,605.42	4,224.45	3,588.89
Power Purchase Cost (Incl. Trans. Charges & Excl. RE/REC Expense)	490.71		919.90		420.09	352.02
Tariff filling fees & publication expenses in CERC		5.11		5.11		5.11
Water cess		3.55		0.20		0.20
Less Non Tariff Income (NTI)		55.16		27.00		48.53
Total	**5,779.84**	**3,955.53**	**6,012.57**	**3,583.73**	**4,644.55**	**3,897.69**
Ratio of sales in Jharkhand part to total firm sale in entire DVC	54.24%	54.24%	58.25%	58.25%	54.84%	54.84%
ARR before IWC, Interest on SD & tariff filling fees in the licensed area of Jharkhand	**3,135.09**	**2,145.55**	**3,502.16**	**2,087.42**	**2,546.93**	**2,137.37**
Cost of Solar & Non Solar Power and REC Purchased to meet the solar & non solar RPO in the state of Jharkhand	155.70		154.62		100.49	
Interest on Working Capital		7.59		111.17		5.85
Interest on security deposit		2.16		0.44		0.44
Tariff Filing Fees & Publication Expenses in		0.46		0.73		0.73

Station/item	2018-19					
	MYT Order		Petition		Approved	
	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)
JSERC						
Net ARR for Jharkhand	**3,290.79**	**2,155.76**	**3,656.78**	**2,199.76**	**2,647.41**	**2,144.39**
TOTAL ARR	**5,446.55**		**5,856.54**		**4,791.80**	
Particulars	**Quantum**		**Quantum**		**Quantum**	
Total ARR	**5446.55**		**5856.54**		**4791.80**	
Sale in Jharkhand (MU)	**12424.91**		**11787.36**		**10259.27**	
Avg Cost of Supply (Rs. / kWh)	**4.38**		**4.97**		**4.67**	

Summary of ARR as approved by the Commission for FY 2019-20 (Rs. Crore)

Station/item	2019-20					
	MYT Order		Petition		Approved	
	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)
Cost of Own Generation	5,815.17	4,332.10	4,082.71	3,313.90	3,848.42	3,147.31
Power Purchase Cost (Incl. Trans. Charges & Excl. RE/REC Expense)	287.79		763.89		372.88	324.80
Tariff filling fees & publication expenses in CERC		5.22		5.22		5.22
Water cess		3.84		0.25		0.25
Less Non Tariff Income (NTI)		58.90		25.00		48.53
Total	**6,102.95**	**4,282.27**	**4,846.59**	**3,294.37**	**4,221.30**	**3,429.06**
Ratio of sales in Jharkhand part to total firm sale in entire DVC	53.28%	53.28%	43.91%	43.91%	44.78%	44.78%
ARR before IWC, Interest on SD & tariff filling fees in the licensed area of Jharkhand	**3,251.88**	**2,281.75**	**2,128.18**	**1,446.58**	**1,890.30**	**1,535.53**
Cost of Solar & Non Solar Power and REC Purchased to meet the solar & non solar RPO in the state of Jharkhand	185.02		192.02		114.27	
Interest on Working Capital		8.02		73.90		4.45
Interest on security deposit		2.38		0.45		0.45

Station/item	2019-20					
	MYT Order		Petition		Approved	
	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)	Energy Cost (Rs. Crore)	Fixed Cost (Rs. Crore)
Tariff Filing Fees & Publication Expenses in JSERC		0.47		0.76		0.76
Net ARR for Jharkhand	**3,436.89**	**2,292.62**	**2,320.20**	**1,521.70**	**2,004.57**	**1,541.20**
TOTAL ARR	**5,729.52**		**3,841.90**		**3,545.77**	
Particulars	**Quantum**		**Quantum**		**Quantum**	
Total ARR	**5729.52**		**3841.90**		**3545.77**	
Sale in Jharkhand (MU)	**13200.48**		**6939.33**		**7188.05**	
Avg Cost of Supply (Rs. / kWh)	**4.34**		**5.54**		**4.93**	

Summary of Approved Tariff for FY 2019-20

Category	Existing Tariff		Approved Tariff	
	Fixed Charges	Energy Charges	Fixed Charges	Energy Charges
LT Domestic (Urban/Rural)	Rs. 43.00/Conn./Month	Rs. 4.50 /kWh	Rs. 75.00 /Conn./Month	Rs. 4.25 /kWh
LT IAS	Rs. 20.00 /HP/Month	Rs. 5.00 /kWh	Rs. 30.00 /HP/Month	Rs. 3.00 /kWh
LT Commercial (Urban/Rural)	Rs. 190.00 /kW/Month	Rs. 5.00 /kWh	Rs. 150.00 /kW/Month	Rs. 4.20 /kWh
LTIS	Rs. 100.00 /kVA/Month	Rs. 4.20 /kWh	Rs. 150.00 /kVA/Month	Rs. 4.20 /kVAh
Streetlight	Rs. 100.00 /Conn./Month	Rs. 4.60 /kWh	Rs. 100.00 /Conn./Month	Rs. 4.40 /kWh
HT Domestic	Rs. 150.00 /kVA/Month	Rs. 4.00 /kWh	Rs. 200.00 /kVA/Month	Rs. 3.80 /kVAh
HT Services	Rs. 380.00 /kVA/Month	Rs. 3.45 /kWh	Rs. 600.00 /kVA/Month	Rs. 2.95 /kVAh

B) Inland Power Limited (IPL)

Inland Power Limited (IPL) is a company incorporated under the provisions of the Indian Companies Act, 1956. IPL was originally incorporated on June 22, 1993 as a Private Limited Company and was subsequently converted to a Public Limited Company on April 03, 2008. IPL signed a Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the MoU) with Government

of Jharkhand to develop a 126 MW (+20%) (2x63 MW) thermal power plant based on CFBC technology in two stages in Gola, District Ramgarh, Jharkhand in October 2011. The Petitioner commissioned its 1st Unit (1x63MW) on May 21, 2014. As per the provisions of the MOU, the Government of Jharkhand (GoJ) or Distribution Licensees authorized by it will have the first right of claim on a purchase up to 25% of the power delivered to the system by the proposed power plant. Further, the MoU stipulates that out of the 25% under the first right of refusal to the State, the rate of 12% share will be on variable cost. Pursuant to the MoU signed between GoJ and IPL, IPL signed a Power Purchase Agreement (hereinafter also referred to as the PPA) with Jharkhand State Electricity Board (now JBVNL) on February 23, 2012 for supplying 35 MW of 63 MW from 1st Unit of the project on long term basis. Subsequently, IPL signed a supplementary PPA with JSEB (now JBVNL) on April 22, 2013 for purchase and sale of the entire quantity of 63 MW power from the 1st Unit of 63 MW inclusive of quantity mentioned in earlier Principal PPA.

The Commission has carried out the truing up for FY 2016-17 & FY 2017-18 vide its Order dated October 01, 2019.

Annual Fixed Charge as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	FY 2016-17			FY 2017-18		
	MYT	Petition	Approved	MYT	Petition	Approved
O&M Expenses	17.01	21.30	17.28	18.08	23.29	19.47
Depreciation	15.60	15.63	17.10	15.60	15.65	17.13
Interest on Loan	24.98	26.44	24.79	23.08	22.68	22.24
Return on Equity	19.30	17.35	15.95	19.84	21.62	17.10
Interest on Working Capital	5.99	7.54	5.70	6.02	8.86	5.44
ARR Publication & Fee Expenses	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
Annual Fixed Cost	**82.88**	**88.42**	**80.98**	**82.62**	**92.10**	**81.38**

Capacity Charges after PAF adjustment as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	FY 2016-17			FY 2017-18		
	MYT Order	Petition	Approved	MYT Order	Petition	Approved
Fixed Cost	82.88	88.42	80.98	82.62	92.10	81.38
Plant Availability Factor	82.5%	83.79%	83.79%	82.5%	82.89%	82.89%
Fixed Cost after PAF adjustment	82.88	88.42	79.83	82.62	92.10	79.36

Recoverable ARR as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	UoM	FY 2016-17			FY 2017-18		
		MYT	Petition	Approved	MYT	Petition	Approved

Fixed Cost after PAF adjustment	Cr	82.88	88.42	79.83	82.62	92.10	79.36
88% of Fixed Cost (Entitlement of IPL)	Cr	-	-	70.25	-	-	69.84
Energy Cost	Cr		77.37	72.79		71.90	67.73
Energy Charge Rate (ECR)	Rs./kWh	2.09	2.12	1.998	2.09	1.97	1.863

The Commission has carried out the Annual Performance Review for FY 2018-19 vide its Order dated December 26, 2019.

Annual Fixed Charge as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	FY 2018-19		
	MYT	Petition	Approved
O&M Expenses	19.22	22.04	19.22
Depreciation	15.60	15.35*	17.15
Interest on Loan	21.18	20.66	20.03
Return on Equity	19.84	15.79	14.00
Interest on Working Capital	6.05	5.87	5.63
Annual Fixed Cost	**81.88**	**79.71***	**76.02**

**In reply to 1st Discrepancy Note raised by the Commission*

Capacity Charges after PAF adjustment as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	FY 2018-19		
	MYT Order	Petition	Approved
Fixed Cost	81.88	79.71*	76.02
Plant Availability Factor	82.5%	75.48%	75.48%
Fixed Cost after PAF adjustment	**81.88**	**79.71***	**67.51**

**In reply to 1st Discrepancy Note raised by the Commission*

Recoverable ARR as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	UoM	FY 2018-19		
		MYT	Petition	Approved
Fixed Cost after PAF adjustment	Cr	81.88	79.71*	67.51
88% of Fixed Cost (Entitlement of IPL)	**Cr**	**-**	**-**	**59.41**
Energy Cost	**Cr**	**-**	**85.67**	**78.18**
Energy Charge Rate (ECR)	**Rs./kWh**	**2.09**	**2.34**	**2.132**

**In reply to 1st Discrepancy Note raised by the Commission*

C) Tata Power Company Limited (TPCL)

TISCO, now TSL, was accorded sanction under section 28(1) of the Indian Electricity Act 1910 for distribution of electricity in the Jamshedpur township area in 1923. Subsequently by Government of Bihar notification dated February 5, 1993 permission was granted for the

establishment of Jamshedpur Power Generating Co. Ltd (JAPCOL) as proposed by TISCO in order to set up Units 2 and Unit 3 at Jojobera, Jamshedpur.

The two parties, signed a PPA on September 12, 1997 under which both the parties agreed to set up, in a phased manner, a power plant with a total capacity of up to 500 MW at Jojobera. The PPA contained certain provisions which govern the determination of tariff for power generated at Jojobera power plant and purchased by TSL.

In April 2000, JAPCOL was amalgamated into Tata Power Company Limited (TPCL) as its subsidiary. Currently, TPCL operates five units of a cumulative capacity of 547.5 MW at the Jojobera Power Plant, out of which two Units (Units 2 and Unit 3 of 120 MW capacity each) have been subject to tariff determination by the Commission. Both Units have a capacity of 120 MW each. Unit 2 commenced its operations on February 1, 2001 and Unit 3 on February 1, 2002.

The Commission has carried out the truing up of FY 2016-17 vide its Order dated December 27, 2019.

Annual Revenue Requirement (ARR) as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	Unit 2			Unit 3		
	MYT Order	Petition	Approved	MYT Order	Petition	Approved
O&M Expenses	46.35	45.07	43.10	40.29	38.69	36.79
Depreciation	6.27	6.18	5.10	7.76	7.50	6.31
Interest on Loan	4.18	4.03	3.96	3.67	3.49	3.40
Int. on WC	12.56	12.56	11.81	12.23	12.29	11.48
Return on Equity	28.8	28.71	27.98	27.74	27.61	27.06
Annual Fixed Cost	98.15	96.55	91.96	91.69	89.58	85.03
Availability	85.00%	93.35%	93.35%	85.00%	90.33%	90.33%
AFC after Availability	98.15	96.55	91.96	91.69	89.58	85.103
Energy Cost	197.76	186.59	182.94	200.42	186.18	182.67
Annual Revenue Requirement	295.91	283.14	274.90	292.11	275.76	267.70
Tax on Gain (Secondary Fuel)	-	0.71	0.26	-	0.64	0.19
Tax on Gain (SHR)	-	0.49	0.47	-	0.68	0.68
Tax on Gain (Auxiliary)	-	0.54	0.53	-	0.66	0.65
Tax on Saving (O&M Expense)	-	1.01	0.48	-	-	-
Annual Revenue Requirement	**295.91**	**285.89**	**276.64**	**292.11**	**277.74**	**269.22**

The Commission has carried out the truing up for FY 2017-18, Annual Performance Review for FY 2018-19 and Mid-Term Review for Annual Revenue Requirement and Generation Tariff for FY 2019-20 and FY 2020-21 vide its Order dated February 14, 2020.

Annual Revenue Requirement (ARR) as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	Unit 2			Unit 3		
	MYT*	Petition	Approved	MYT*	Petition	Approved
O&M Expenses	51.00	48.08	45.99	43.51	41.46	39.91
Depreciation	6.95	6.41	5.23	8.62	7.81	6.54
Interest on Loan	4.48	3.96	3.81	4.26	3.61	3.37
Int. on WC	12.86	13.49	12.84	12.47	12.92	12.24
Return on Equity	29.27	28.9	28.12	28.4	27.9	27.26
Annual Fixed Cost	**104.57**	**100.84**	**95.99**	**97.26**	**93.70**	**89.32**
Availability	85.00%	96.50%	96.50%	85.00%	97.27%	97.27%
AFC after Availability	**104.57**	**100.84**	**95.99**	**97.26**	**93.70**	**89.32**
Energy Cost	**205.67**	**213.97**	**210.07**	**189.85**	**206.66**	**202.93**
Annual Revenue Requirement	**310.24**	**314.81**	**306.06**	**287.10**	**300.35**	**292.25**
Tax on Gain (Secondary Fuel)	-	0.76	0.22	-	0.73	0.26
Tax on Gain (SHR)	-	0.53	0.52	-	0.53	0.52
Tax on Gain (Auxiliary)	-	0.77	0.76	-	0.71	0.70
Annual Revenue Requirement	**310.24**	**316.87**	**307.55**	**287.10**	**302.33**	**293.73**

** Read with Review Order dated January 09, 2019*

Annual Revenue Requirement (ARR) as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	Unit 2			Unit 3		
	MYT*	Petition	Approved	MYT*	Petition	Approved
O&M Expenses	54.52	51.24	49.08	48.21	44.17	42.03
Depreciation	8.18	6.72	5.78	9.71	7.88	6.59
Interest on Loan	4.89	4.07	3.82	4.58	3.43	3.09
Int. on WC	13.12	14.41	13.40	12.79	14.21	13.20
Return on Equity	29.89	29.32	28.48	28.97	28.09	27.38
Annual Fixed Cost	**110.61**	**105.76**	**100.54**	**104.24**	**97.78**	**92.30**
Availability	85.00%	93.17%	93.17%	85.00%	93.58%	93.58%
AFC after Availability	**110.61**	**105.76**	**100.54**	**104.24**	**97.78**	**92.30**
Energy Cost	**193.77**	**225.51**	**220.66**	**208.00**	**231.38**	**226.39**
Tax on Gain (Secondary Fuel)	**-**	0.80	**-**	**-**	0.71	**-**
Tax on Gain (Auxiliary)	**-**	0.61	**-**	**-**	0.51	**-**

Particulars	Unit 2			Unit 3		
	MYT*	Petition	Approved	MYT*	Petition	Approved
Tax on Gain (SHR)	-	0.68	-	-	0.84	-
Annual Revenue Requirement	**304.38**	**333.36**	**321.21**	**312.25**	**331.23**	**318.69**

** Read with Review Order dated January 09, 2019*

Annual Revenue Requirement for Unit 2 as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	UoM	FY 2019-20			FY 2020-21		
		MYT*	Petition	Approved	MYT*	Petition	Approved
O&M Expenses	Rs. Cr.	59.17	54.03	51.68	60.53	63.21	58.83
Depreciation	Rs. Cr.	8.94	7.16	6.37	9.1	12.52	6.95
Interest on Loan	Rs. Cr.	5.00	4.22	3.84	4.58	8.35	3.84
Int. on WC	Rs. Cr.	13.41	15.11	14.38	13.5	15.23	13.30
Return on Equity	Rs. Cr.	30.41	28.26	27.39	30.61	31.78	27.74
Annual Fixed Cost	**Rs. Cr.**	**116.93**	**108.77**	**103.65**	**118.33**	**131.10**	**110.66**
Availability	Rs. Cr.	85.00%	88.99%	88.99%	85.00%	87.76%	87.76%
AFC after Availability	**Rs. Cr.**	**116.93**	**108.77**	**103.65**	**118.33**	**131.10**	**110.66**
Energy Cost	Rs. Cr.	**206.62**	**237.27**	**235.67**	**192.77**	**198.03**	**219.59**
Tax on Gain (Secondary Fuel)	Rs. Cr	-	**0.25**	-	-	-	-
Tax on Gain (Auxiliary)	Rs. Cr	-	**0.18**	-	-	-	-
Tax on Gain (SHR)	Rs. Cr	-	**0.30**	-	-	-	-
Annual Revenue Requirement	**Rs. Cr.**	**323.56**	**346.78**	**339.32**	**311.10**	**329.13**	**330.25**
Energy	**Rs./kWh**	**2.578**	**3.258**	**3.236**	**2.578**	**2.983**	**2.936**

Particulars	UoM	FY 2019-20			FY 2020-21		
		MYT*	Petition	Approved	MYT*	Petition	Approved
Charge Rate							

** Read with Review Order dated January 09, 2019*

Annual Revenue Requirement for Unit 3 as approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	UoM	FY 2019-20			FY 2020-21		
		MYT*	Petition	Approved	MYT*	Petition	Approved
O&M Expenses	Rs. Cr.	50.74	46.59	44.19	53.33	56.15	50.74
Depreciation	Rs. Cr.	10.4	7.98	6.65	10.56	13.19	7.64
Interest on Loan	Rs. Cr.	4.64	3.24	2.85	4.27	7.79	3.32
Int. on WC	Rs. Cr.	12.95	14.69	14.07	13.11	14.83	13.20
Return on Equity	Rs. Cr.	29.42	26.80	26.10	29.63	30.55	26.68
Annual Fixed Cost	**Rs. Cr.**	**108.15**	**99.29**	**93.85**	**110.90**	**122.50**	**101.57**
Availability	Rs. Cr.	85.00%	88.99%	88.99%	85.00%	87.76%	87.76%
AFC after Availability	**Rs. Cr.**	**108.15**	**99.29**	**93.85**	**110.90**	**122.50**	**101.57**
Energy Cost	Rs. Cr.	**193.77**	**243.69**	**242.06**	**208.00**	**199.02**	**236.97**
Tax on Gain (Secondary Fuel)	Rs. Cr	-	0.35	-	-	-	-
Tax on Gain (Auxiliary)	Rs. Cr	-	0.16	-	-	-	-
Tax on Gain (SHR)	Rs. Cr	-	0.45	-	-	-	-
Annual Revenue Requirement	**Rs. Cr.**	**301.93**	**343.95**	**335.91**	**318.91**	**321.52**	**338.55**
Energy Charge Rate	**Rs./kWh**	**2.587**	**3.271**	**3.249**	**2.587**	**3.011**	**2.947**

** Read with Review Order dated January 09, 2019*

D)Tenughat Vidyut Nigam Limited

Tenughat Vidyut Nigam Limited (TVNL) is a wholly owned Generating Company of Government of Jharkhand and was constituted in 1987 under the Indian Company's Act, 1956. It operates two Units (Units I and II) of Tenughat Thermal Power Station. Each unit has an installed power generation capacity of 210 MW. Unit I commenced its operations in September, 1996 and Unit II in September, 1997. With the creation of State of Jharkhand on November 15, 2000, it became an undertaking of Government of Jharkhand.

The Commission has carried out the truing up for 2014-15, provisional True-up for FY 2015-16 and ARR for MYT period FY 20-16-17 to FY 2020-21.

Annual Revenue Requirement approved by the Commission for FY 2014-15 (Rs. Crore)

Particulars	FY 2014-15		
	MYT Order	Petition	Approved

Particulars	FY 2014-15		
	MYT Order	Petition	Approved
O&M Expenses	166.50	118.69	102.32
Depreciation	70.92	75.23	53.03
Interest on Loan	49.93	103.06	49.93
Return on Equity	27.86	26.54	27.87
Int. on WC	29.79	30.92	29.79
Cost of Secondary Fuel Oil	18.71	20.22	19.20
Annual Fixed Cost	**363.72**	**374.64**	**282.15**
PAF based Incentives/Disincentives			(16.90)
Annual Fixed Charges with Incentive			**265.25**
Income Tax on Incentive			-
Fixed Cost with Incentive			**265.25**
Less: NTI	16.91		35.70
Total Fixed Cost	**346.81**		**229.55**
Energy Charge	**-**	**-**	**334.09**
ARR	**-**	**-**	**563.64**

Provisional ARR approved by the Commission for FY 2015-16 (Rs. Crore)

Particulars	FY 2015-16		
	MYT Order	Petition	Approved
O&M Expenses	180.11	156.03	123.77
Depreciation	71.52	71.46	35.26
Interest on Loan	41.71	103.13	41.71
Return on Equity	28.38	36.63	28.38
Int. on WC	29.87	39.74	29.87
Cost of Secondary Fuel Oil	18.76	14.82	13.45
Annual Fixed Cost	**370.36**	**421.81**	**272.43**
PAF based Incentives/Disincentives			**7.57**
Annual Fixed Charges with Incentive			**280.00**
Income Tax on Incentive			-
Fixed Cost with Incentive			**280.00**
Less: NTI	16.91	34.29	34.49
Total Fixed Cost	**353.45**	**387.52**	**245.51**
Energy Charge	**-**	**-**	**442.10**
ARR	**-**	**-**	**687.61**

ARR approved for FY 2016-17 to FY 2020-21 approved by the Commission (Rs. Crore)

Particulars	UoM	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21
O&M Expenses	Rs. Cr.	143.56	151.85	160.66	170.03	179.99
Depreciation	Rs. Cr.	26.01	26.01	26.01	26.01	26.01
Interest on	Rs. Cr.	35.83	32.45	29.07	25.69	22.31

Particulars	UoM	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21
Loan						
Return on Equity	Rs. Cr.	28.62	28.62	28.62	28.62	28.62
Int. on WC	Rs. Cr.	33.72	33.00	32.31	31.68	31.01
Less: NTI	Rs. Cr.	(34.29)	(34.29)	(34.29)	(34.29)	(34.29)
Total Fixed Cost	Rs. Cr.	**233.45**	**237.63**	**242.37**	**247.73**	**253.64**
ECR	Rs./kWh	2.324	**2.222**	**2.120**	**2.019**	**1.917**

13 एफ0ओ0आर0, एफ0ओ0आई0आर, एसएएफआईआर, फ0ओ0आर0ई0एन0स0, अन्तर्राष्ट्रीय नियामक मंच, सीआईजीआरई आदि– का बैठक

बैठकों में शामिल अध्यक्ष/सदस्यगण निम्नलिखित है:–

- 09 अप्रैल 2018 को एन.दिल्ली में फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (फॉर) की 63 वीं बैठक
- *20 अप्रैल 2018 को ईटानगर में APSERC की 9 वीं फॉरेंस मीटिंग।
- 17 मई 2018 को सेंटर फॉर एनर्जी (सीईआर), आईआईटी, कानपुर, नई दिल्ली के पैनल डिस्कशन लॉन्च के लिए बैठक।
- 23 मई 2018 को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री के साथ बैठक।
- 24–25 मई 2018 को ब्ळत्म् द्वारा गंगटोक, सिक्किम में ष्वैश्विक ऊर्जा संक्रमण–मुद्दे और चुनौतियां पर इंटरवेंशनल कॉन्फ्रेंस।
- 12 जून 2018 को फिक्की द्वारा नई दिल्ली में ष्भविष्य के विद्युत बाजारष् पर कार्यशाला।
- 22 जून 2018 को नई दिल्ली में एफओआईआर की 19 वीं आम सभा।
- 03 अगस्त 2018 कोलकाता में फोरेंस की तकनीकी बैठक।
- 24 अगस्त 2018 को रांची में फोरम ऑफ रेग्युएटर्स (फॉर) की 64 वीं बैठक।
- 29 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में 17 वीं दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान।
- 12 सितंबर 2018 को फिक्की द्वारा नई दिल्ली में टैरिफ सुधारों, उद्योग भागीदारी और अभिनव व्यवसाय मॉडल के माध्यम से भारत के विद्युत क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने पर कार्यशाला।
- 25 से 27 अक्टूबर 2018 को बोधगया में 10 वीं फॉरेंस बैठक।
- 13 नवंबर 2018 को ओडिशा के भुवनेश्वर में 65 वीं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (फॉर) की बैठक।
- सीएमडी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिडेट (च्ळब्स्) के साथ नई दिल्ली में 08 नवंबर 2018 को बैठक
- 30 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में सीएमडी, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (POSOCO) के साथ बैठक।
- 14 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में सीबीआईपी कार्यकारी समिति की 231 वीं बैठक
- 18 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में अध्यक्ष, सीईए के साथ बैठक

- ❖ कार्यशाला ईवीएस के Techosphere, इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज, पावर डिमांड आकलन और मूल्य निर्धारण के मुद्दों पर 02 फरवरी 2018 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश ईआरसी द्वारा आयोजित।
- ❖ 11 मार्च 2019 को नई दिल्ली में वाणिज्यिक मुद्दों से संबंधित नए उत्सर्जन मानदंडों पर सीएसई की गोलमेज बैठक।
- ❖ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में 13 वीं –15 वीं मार्च 2019 को 1 वैश्विक नियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम।
- ❖ नई दिल्ली में पावर मार्केट डिजाइन पर यूरोपीय संघ–भारत कार्यशाला पर भारत स्मार्ट ग्रिड फोरम की बैठक।
- ❖ 12 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की 67 वीं बैठक।
- ❖ 19 वीं –22 अप्रैल 2019 को डिगबोई, असम में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों (फोरेंस) के लिए नियामकों के फोरम की 11 वीं बैठक।
- ❖ 25–26 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में ।थ्प्त की 25 वीं संचालन समिति की बैठक
- ❖ नई दिल्ली में 30–31 मई 2019 को विश्वसनीय और गुणवत्ता शक्ति पर सम्मेलन
- ❖ नई दिल्ली में 21 जून 2019 को एफओआईआर की 20 वीं वार्षिक आम सभा
- ❖ 25–27 जुलाई 2019 को आईआईटी कानपुर में भारतीय विद्युत क्षेत्र विद्युत डिजाइन और डिजिटलीकरणष प्रशिक्षण कार्यक्रम में उभरते रुझान।
- ❖ नई दिल्ली में 29 अगस्त 2019 को पावर वर्ल्ड एक्सपो 2020 की केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक।
- ❖ अमृतसर, पंजाब में 20 सितंबर 2019 को फोरम ऑफ रेग्युलेटर की 69 वीं बैठक
- ❖ डिरांग, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों (फोरेंस) के लिए फोरम ऑफ रेगुलेटर की 12 वीं बैठक
- ❖ 19 नवंबर 2019 को इलेक्ट्रिक वाहनों चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात करने के लिए नीतिगत रूपरेखा
- ❖ 21 नवंबर 2019 से 01 दिसंबर 2019 तक द्वितीय वैश्विक नियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम
- ❖ 18 फरवरी 2020 को दिल्ली में फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के कार्यकारी समूह की बैठक

- ❖ 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में साउथ एशिया फोरम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (SAFIR) का सम्मेलन
- ❖ 17 से 24 फरवरी को उदयपुर में फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स (एफओआईआर) की बैठक

14. उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र

विद्युत अधिनियम 2003, के अनुच्छेद 42(5) और 42(6) के निर्देशानुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और आयोग द्वारा नियुक्त विद्युत लोकपाल द्वारा गठित, राज्य में प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRFs) का गठन और EO के कार्यालय ने विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के तीव्र और किफायती निवारण के लिए सक्षम बनाया है।

14.1 उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF)

वर्त्तमान में राज्य में 9 CGRFs कार्य कर रहे हैं जिनमें से 5 झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि0 द्वारा गठित किए गए है और बाकी अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, यानी, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड, सेल–बोकारों और दामोदर घाटी निगम द्वारा। प्रत्येक CGRFs में एक अध्यक्ष–सह–सदस्य (विधि) और दो सदस्य शामिल है। CGRFs का अध्यक्ष आयोग द्वारा नामांकित एक स्वतंत्र सदस्य होता है। झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 नियम, 2011 (उपभोक्तओं के शिकायातों के निवारण के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना और विद्युत लोकपाल के लिए दिशा निर्देश) के प्रावधान के अनुसार।

- ❖ माननीय अध्यक्ष के साथ माननीय सदस्यगण भी शामिल हुए

14.2 राज्य में वर्तमान कार्य में सीजीआरएफ का विस्तार और इसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्र नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया हैरू .

	लाइसेंसधारी नाम	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का नाम	क्षेत्र को कवर
1.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	विद्युत् उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रांची	रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा
		विद्युत् उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, हजारीबाग	हजारीबाग, गिरडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा , कोडरमा और रामगढ

		विद्युत् उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुमका विद्युत् उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, चाईबासा विद्युत् उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पलामू	दुमका, जामतारा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सराईकेला–खरसवां मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार
2.	टाटा स्टील लिमिटेड	फोरम ऑफ रेड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ द कंस्यूमर्स	जमशेदपुर टाउनशिप
3.	जुस्को	फोरम ऑफ रेड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ द कंस्यूमर्स	सराईकेला खरसावां
4.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	फोरम ऑफ रेड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ द कंस्यूमर्स	बोकारो स्टील लिमिटेड, टाउनशिप
5.	दामोदर वैली कारपोरेशन	विद्युत् उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, मैथन	दामोदर वैली कारपोरेशन कमांड एरिया

14.3 विभिन्न CGRF द्वारा निपटाए गए शिकायतों का विवरण

2018-19

1. CGRF का नाम – स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

शिकायतों का निपटान

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	01
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	24

2. Name of CGRF – Forum for Redressal of Grievances of the Consumers (JUSCO)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	31

3. Name of CGRF – Forum for Redressal of Grievances of the Consumers (TSL)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	13
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	14
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	11
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	26

4. Name of CGRF – Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Ranchi)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	11
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	05
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	06
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	21

5 **Name of CGRF –** Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Chaibasa)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	07
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	06
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	09
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	42

6. Name of CGRF – Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Dumka)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	00

7. Name of CGRF – Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Hazaribagh)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	12
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	14
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	07
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	08

8. Name of CGRF – Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Medninagar)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	03
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	08
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	06
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	24

9. Name of CGRF – Consumer Grievance Redressa Forum (DVC)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	00

2019-20

1. **Name of CGRF –** Sail Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	04
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	01
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	10

2. **Name of CGRF –** Forum for Redressal of Grievances of the Consumers (JUSCO)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	31

3. **Name of CGRF –** Forum for Redressal of Grievances of the Consumers (TSL)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	07
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	06
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	10
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	25

4. **Name of CGRF –** Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Ranchi)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	07
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	08
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	05
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	25

5. **Name of CGRF –** Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Chaibasa)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	12
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	04
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	17
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	48

6. **Name of CGRF –** Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Dumka)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	00

7. Name of CGRF – Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Hazaribagh)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	11
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	13
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	05
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	07

8. Name of CGRF – Vidyut Upbhokta Shikayat Niwaran Forum (JBVNL, Medninagar)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	01
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	07
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	12

9. Name of CGRF – Consumer Grievance Redressa Forum (DVC, Medninagar)

Disposal of Grievances by CGRF

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	00
वर्ष में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या	00

15. विद्युत् लोकपाल

15.1 विद्युत लोकपाल कार्यालय भागीरथ कॉम्प्लेक्स के 4 वें तल में, आदिवासी छात्रावास के पास, करमटोली, रांची में स्थित है. वर्तमान में श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवम सत्र न्यायाधीश विद्युत् लोकपाल है

15.2 वर्ष 2017–18 के दौरान विद्युत लोकपाल द्वारा की गई शिकायतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2018 –19				
	विद्युत् लोकपाल	**लंबित मामले**	**शिकायतें प्राप्त हुईं**	**विमुक्त मामले**
1.	रांची	08	09	16
वित्तीय वर्ष 2019 –20				
	विद्युत् लोकपाल	**लंबित मामले**	**शिकायतें प्राप्त हुईं**	**विमुक्त मामले**
1.	रांची	04	05	08

16. वृतान्त एवं कार्यक्रम

1. स्वतंत्रता दिवस 2018

2. 24.08.2018 को फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की 64 वीं बैठक

REGULATORS
RAGHUBAR DAS
Dr. ARBIND PRASAD

REC Mechanism
RS (FOR)

S.K. NEGI
R.P. SINGH
SHREEMAT PANDEY
R.N.SINGH

FORUM OF REGULATORS
64TH MEETING
24TH AUGUST, 2018
ISMAIL ALI KHAN
RABINDRA NATH SEN
CHAIRPERSON WBERC

3. माननीय सदस्य (कानूनी) श्री प्रवास कुमार सिंह का शपथ समारोह

4. उत्पात भवन में आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन

16. आयोग के कामकाज

आयोग को विभिन्न प्रकार के कार्यो के संपादन के लिए अधिनियम के अधीन शासनादेश प्राप्त है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आयोग की दक्षता आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव के साथ–साथ अधिकारियों की गुणवत्ता और दक्षता पर निर्भर करती है।

वर्तमान में आयोग में निम्नलिखित संपर्क अधिकारी हैं

	अधिकारीयों और कर्मचारियों का नाम	पद
01	श्री राजेंद्र प्रसाद नायक	सचिव, विधि अधिकारी एवम जन सूचना अधिकारी
02	श्री अजय शंकर	सहायक
03	श्री निर्मल कुमार कर्ण	सहायक
04	श्री उदय चंद्र प्रसाद	सदस्य तकनिकी निजी सहायक
05	श्री चिरंजीव रंजन किशोर	सदस्य लेखा निजी सहायक
06	श्री त्रिवेणी नाथ महतो	सहायक
07	श्री प्रवीण कुमार	कंप्यूटर ऑपरेटर
08	श्री राजेश वर्मा	बेंच क्लर्क
09	श्री राजेश रंजन किशोर	सहायक
10	श्रीमती अभिलाषा मिंज	स्वागतक
11	श्री विजय कच्छप	चालक
12	श्री महेश कुमार महतो	चालक
13	श्री सतीश प्रसाद	चालक
14	श्री राज यादव	चालक
15	श्री होरील कुमार सॉ	चालक
16	श्री सुनील प्रामाणिक	अनुसेवक
17	श्री दीपक कुमार महतो	अनुसेवक
18	श्री उदय मुंडा	अनुसेवक
19	श्री संतोष बड़ाइक	अनुसेवक
20	श्री नितिन लोहरा	अनुसेवक
21	श्री भगीरथ महतो	अनुसेवक
22	श्री प्रदीप कुजूर	अनुसेवक

23	श्री अनिल लोहरा	अनुसेवक
24	श्री जनेश्वर सिंह	सुरक्षा प्रहरी
25	श्री देवेंद्र नाथ महतो	सुरक्षा प्रहरी
26	श्री राजू राम	सफाईकर्मी
27	मोहम्मद इकबाल	सफाईकर्मी

17. लेखांकन

झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 निधि नियम 2009, झारखण्ड सरकार, ऊर्जा विभाग द्वारा 21.11.2009 को अधिसूचित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ, आयोग के खातों को बनाए रखने के लिए प्रारूप निर्धारित करता है। तदनुसार, आयोग नियमों का पालन करता है और अपना लेखाकंन निर्धारित प्रारूप में तैयार करता है जो वित्तीय वर्ष 2016–17 तक अद्यतन किया गया है।

लेनदेन लेखा परीक्षा भी महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 तक किया गया है।

18. वार्षिक रिपोर्ट समिति

माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित समिति, जिसमें श्री राजेंद्र प्रसाद नायक , सचिव और निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में लिखित समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

नाम एवम पदनाम	
 श्री राजेंद्र प्रसाद नायक सचिव, विधि अधिकारी एवम जन सूचना अधिकारी	सदस्य
 श्री अजय शंकर सहायक	सदस्य
 श्री प्रवीण कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर	सदस्य

अनुलग्नक–1

A) झारखण्ड राज्य विद्युत विनायमक आयोग में दायर की गई याचिका की स्थिति

वर्ष 2018 के दौरान स्थानान्तरित	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निष्पादिता	शेष
34	**25**	**59**	**42**	**17**

वर्ष 2019 के दौरान स्थानान्तरित	वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निष्पादिता	शेष
17	**32**	**49**	**25**	**24**

B) Tariff Orders

9 No. of Tariff Orders issued by the Commission during the F.Y 2018-19

	Case No. & Name of Parties	**Subject**	**Date of Disposed**
01	**Case (Tariff) 08 of 2018**	True-up for FY 2016-17 & FY 2017-18, Annual Performance Review for FY 2018-19 and ARR & Tariff for FY 2019-20 for Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	28.02.2019
02	**Case (T) 03 of 2019**	Tariff for Gross/Net Metering of Rooftop Solar PV Project for 2018-19	19.02.2019
03	**Case No. 10 of 2017**	True-up for FY 2013-14 (06th Jan 2014 to 31st March 2014) to FY 2014-15 for Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited. (JUSNL)	01.02.2019
04	**Case (T) No. 01 of 2018**	Approval of Business plan and determination of ARR for the control period FY 2016-17 to FY 2020-21 (including True up for the period 6 th Jan 2014 - 31st Mar 2014, FY 2014-15 and FY 2015-16) for Jharkhand Urja Utpadan Nigam Limited (JUUNL)	25.09.2018
05	**Case No. 11 of 2017**	Corrigendum to the order on True-up for FY 2015-16, Annual Performance Review for FY 2016-17 and ARR and Tariff for FY 2017-18 for Tata Steel Limited (TSL) issued by the	07.06.2018

		Commission on 18.05.2018 in Case (T) No: 11 of 2017.	
06	**Case (T) No: 07 of 2017**	True-up for FY 2013-14 to FY 2015-16 and approval of Business plan and ARR for MYT Control Period FY 2016-17 to FY 2020-21 and Distribution and Retail Supply Tariff for FY 2016-17 for Steel Authority of India Limited, Bokaro	07.06.2018
07	**Case No.: 08 of 2017**	True up for FY 2015-16 and Annual Performance Review of FY 2016-17 and Determination of Annual Revenue requirement (ARR) and Tariff for FY 2017-18 for Jamshedpur Utilities & Services Company Limited (JUSCO).	07.06.2018
08	**Case (T) No: 13 of 2017.**	Corrigendum to the Order on Annual Performance Review for FY 2016-17 and Determination of Revised ARR and Tariff for the FY 2017-18 & FY 2018-19 for JBVNL issued by the Commission on 27.04.2018	18.05.2018
09	**Case No. 11 of 2017**	True up for FY 2015-16, And Annual Performance Review of FY 2016-17, And ARR and Tariff for FY 2017-18 for Tata Steel Limited (TSL)	18.05.2018
10	**Case (T) No. 05 of 2016 and 02 of 2017**	True-up for FY 2015-16 And ARR for MYT Period FY 2016-17 to FY 2020-21 And Determination of Tariff for FY 2016-17 for DVC Command Area of Jharkhand	18.05.2018
11	**Case (T) No: 09 of 2017**	True-up of erstwhile JSEB for FY 2011-12 to FY 2013-14 (up to 5th Jan'14) and JBVNL for FY 2013-14(6th Jan'14 to 31st Mar'14) to FY 2015-16	27.04.2018
12	**Case (T) No: 13 of 2017**	Annual Performance Review for FY 2016-17 and Determination of Revised ARR and Tariff for the FY 2017-18 & FY 2018-19 for Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	27.04.2018

06 nos of Tariff Orders issued by the Commission during the F.Y 2019-20

	Case No. & Name of Parties	**Subject**	**Date of Disposed**
01	Tenughat Vidyut Nigam Limited (TVNL)	Order on Petition for Multi Year Tariff for the period FY 2017-21 (Including truing-up For FY 2014-15 & provisional true-up of FY 2015-16) For Tenughat Vidyut Nigam Limited (TVNL)	28.02.2020
02	Tata Power Company Limited (TPCL)	Order on True-up for FY 2017-18, Annual Performance Review for FY 2018-19 and Mid-Term Review for Revised Annual Revenue Requirement and Generation Tariff for FY 2019-20 & FY 2020-21 for Tata Power Company Limited (TPCL)	14.02.2020
03	Tata Power Company Limited (TPCL)	Order on True-up for FY 2016-17 for Tata Power Company Limited (TPCL)	27.12.2019
04	Inland Power Limited (IPL)	Order on Annual Performance Review for FY	26.12.2019

		2018-19 for Inland Power Limited (IPL)	
05	Inland Power Limited (IPL)	Order on True-up for FY 2016-17 and FY 2017-18 for Inland Power Limited (IPL)	01.10.2019
06	Damodar Valley Corporation (DVC).	Order on True-up for FY 2016-17, Annual Performance Review for FY 2017-18 & FY 2018-19 and ARR & Tariff for FY 2019-20 for Damodar Valley Corporation (DVC).	28.05.2019

C) Petitions disposed in the year F.Y 2018-19

	Case No. & Name of Parties	Subject	Date of Disposed
01	**24 of 2018** Jharkhand Urja Utpadan Nigam Limited (JUUNL) Versus Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) & Ors.	Review petition on tariff order dated 25.09.2018 passed by JSERC for approval of Business plan and determination of ARR for control Period FY 2016-17 to FY 2020-21	08.03.2019
02	**05 of 2018** Adhunik Power & Natural Resources Limited (APNRL) Versus Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	Seeking review of the order dated 19.02.2018 passed by the Commission in Case (T) no.15 of 2016 & Case (T) no. 01 of 2017 in the matter of True-up for FY 2014-15 and FY 2015-16, approval of Business plan, ARR and Tariff for the MYT 2016-17 to 2020-21	08.03.2019
03	**25 of 2014** Usha Martin Ltd. Versus Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited (JUVNL) & Ors.	Application under Section 86 (1) (f) & (k) of the Electricity Act 2003	21.02.2019
04	**22 of 2018** Jai Prakash Choudhary Versus Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited & ors	An application under the provisions of JSERC (Conduct of Business) Regulations 2016	21.01.2019
05	**12 of 2017** Adhunik Power & Natural Resources Ltd. Vrs. Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	An application under section 142 of the Electricity Act 2003 for non-compliance by the respondent of the directions passed by the Hon'ble Commission in its order dated 21.12.2016 passed in case no.13 of 2014	21.01.2019
06	**25 of 2018** **Jamshedpur Utilities & Services Co. Ltd (JUSCO)**	Clarification on the Capitalisation schedule approved for the capital schemes in the MYT Order	01.02.2019
07	**06 of 2018** Tata Power Company Limited (TPCL) Versus Tata Steel Limited (TSL)	Seeking review of the order dated 19.02.2018 passed by the Commission in the petition filed for determination of MYT for FY 2016-17 to 2020-21 and True up for FY 2015-16.	09.01.2019
08	**23 of 2018** M/s Shree Jharkhand Cement Plant Versus Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited & anr	For seeking approval for relief from the Commission for availing power on contract demand 14 MVA on 132 KVA voltage level under clause 4.7 of JSERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2015	05.12.2018
09	**19 of 2018** M/s Adani Power Jharkhand Limited (APJL) Versus Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	Petition under section 86(1) of Electricity Act 2003 for approval in terms of clause 4.7 of Electricity Supply Code Regulations, 2015 to Distribution Licensees (JBVNL) for sanctioning 2 MVA loas as required in phased manner on 132 KV Power Supply to M/s Adani Power Jharkhand Limited,	20.11.2018

		Godda	
10	**15 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	Petition for approval of Power Purchase Agreements of JBVNL With PTC for Procurement of 50 MW wind Power (from Mytrah Energy India Pvt. Ltd., Inox wind infrastructure services ltd., M/s Green Infra Wind Energy Ltd., M/s Ostro Kutch Wind Pvt. Ltd.) under Section 86 1(b) of the Electricity Act, 2003 and directives in its Tariff Order dated 21st June 2017 and vide letter No. JSERC/Case (T) No.08 & 10 of 2016/466 dated 06th October 2017.	25.09.2018
11	**14of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	Petition for approval of Power Purchase Agreements of JBVNL With PTC for Procurement of 50 MW wind Power (from Mytrah Energy India Pvt. Ltd., Inox wind infrastructure services ltd., M/s Green Infra Wind Energy Ltd., M/s Ostro Kutch Wind Pvt. Ltd.) under Section 86 1(b) of the Electricity Act, 2003 and directives in its Tariff Order dated 21st June 2017 and vide letter No. JSERC/Case (T) No.08 & 10 of 2016/466 dated 06th October 2017.	25.09.2018
12	**13of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	Petition for approval of Power Purchase Agreements of JBVNL With PTC for Procurement of 50 MW wind Power (from Mytrah Energy India Pvt. Ltd., Inox wind infrastructure services ltd., M/s Green Infra Wind Energy Ltd., M/s Ostro Kutch Wind Pvt. Ltd.) under Section 86 1(b) of the Electricity Act, 2003 and directives in its Tariff Order dated 21st June 2017 and vide letter No. JSERC/Case (T) No.08 & 10 of 2016/466 dated 06th October 2017.	25.09.2018
13	**12 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	Petition for approval of Power Purchase Agreements of JBVNL With PTC for Procurement of 50 MW wind Power (from Mytrah Energy India Pvt. Ltd., Inox wind infrastructure services ltd., M/s Green Infra Wind Energy Ltd., M/s Ostro Kutch Wind Pvt. Ltd.) under Section 86 1(b) of the Electricity Act, 2003 and directives in its Tariff Order dated 21st June 2017 and vide letter No. JSERC/Case (T) No.08 & 10 of 2016/466 dated 06th October 2017.	25.09.2018
14	**11 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	Petition for approval of Power Purchase Agreements of JBVNL With SECI for Procurement of 100 MW wind Power under Section 86 1(b) of the Electricity Act, 2003 and directives in its Tariff Order dated 21st June 2017 and vide letter No. JSERC/Case (T) No.08 & 10 of 2016/466 dated 06th October 2017	25.09.2018
15	**10 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	Petition for approval of Power Purchase Agreements of JBVNL With SECI for Procurement of 200 MW wind Power under	25.09.2018

		Section 86 1(b) of the Electricity Act, 2003 and directives in its Tariff Order dated 21st June 2017 and vide letter No. JSERC/Case (T) No.08 & 10 of 2016/466 dated 06th October 2017	
16	**20 of 2018** M/s Jamshedpur Utilities & Services Co. Limited (JUSCO)	Expansion of power network in the areas where new or prospective consumers have applied/will apply for power connection and clarification of approved capitalization schedule.	25.09.2018
17	**18 of 2018** M/s Jamshedpur Utilities & Services Co. Limited (JUSCO)	Review of Tariff Order issued on 07/06/2018	25.09.2018
18	**Case No. 09 of 2018** Tata Steel Limited	Order on review petition of Tata Steel Limited on True up for FY 2015-16,Annual Performance Review of FY 2016-17,ARR and Tariff for FY 2017-18 issued by JSERC on18th May, 2018.	11.09.2018
19	**Case No.17 of 2018** Association of DVC HT Consumers of Jharkhand Vrs. Damodar Valley Corporation	Seeking clarification on the applicability of voltage rebate & load factor rebate approved in the Tariff order dated 18/05/2018 of DVC	08.08.2018
20	**Case No.04 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	In the matter of seeking approval of the Commission on 2nd Supplementary PPA signed between JBVNL& IPL to avail discount on tariff under clause - B(ii)(b) of the Shakti Scheme-2017 of Ministry of Coal, Govt. of India.	18.07.2018
21	**Case No.03 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	In the matter of seeking approval of the Commission on 2nd Supplementary PPA signed between JBVNL& APNRL to avail discount on tariff under clause - B(ii)(b) of the Shakti Scheme-2017 of Ministry of Coal, Govt. of India.	18.07.2018
22	**Case No. 10 of 2016** Damodar Valley Corporation (DVC) & Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited Versus Union of India & State of Jharkhand	Joint petition of the petitioner herein seeking this Hon'ble Commission to provide a roadmap to create a level playing field between the petitions in order to promote and fair competition in distribution of electricity in their common area of supply.	18.07.2018
23	**Order on Case No. 11 of 2016** Lily Bala Singh Vrs. Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited (JUVNL)	U/s 142 & 146 read with section 149 of the Electricity Act 2003 (As amended till date)	02.07.2018
24	**Case No. 11 of 2017** Jharkhand Small Industries Association Versus Jharkhand Renewable Energy Dev. Agency (JREDA)	An application u/s 86(1)(a) and (b) (3) 86(4) of the electricity Act,2003 interalia for setting aside the LOIs dated23.05.2016 issued to the successfully bidders/developers for the subject tender project and for instructing a fresh bidding process	20.06.2018
25	**IA No. 01 of 2017**	An application relating to approval of PPA.	20.06.2018

	in **Case No. 03 of 2017** Adhunik Power & Natural Resources Ltd. Vrs. Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited (JUVNL)		
26	**Case No. 07 of 2016** Steel Authority of India Limited (SAIL) Petitioner Versus Jharkhand Renewable Energy Development Agency (JREDA)	Fulfilment of obligation by SAIL, Bokaro Steel Plant, B.S.City to purchase power from Renewable Source.	20.06.2018
27	**Misc. Petition No. 01 of 2018** Santhal Pargana Chamber of Commerce & Industries & Jharkhand Induction Furnace Association Versus Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited & Ors. AND **Misc. Petition No. 02 of 2018** Singhbhum Chamber of Commerce & Industries Versus Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited & Ors.		27.04.2018
28	**I.A. No. 01 of 2018** In Case (Tariff) No. 13 of 2017	Petition for implement of the applicant/Intervener as Party-Respondent in the petition filed by the petitioner Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) for approval of Annual Performance Review for FY 2016-17 and Revised Aggregate Revenue Requirement and tariff determination for FY 2017-18 and FY 2018-19.	27.04.2018
29	**Suo-Motu Case No. 07 of 2018**	In the Matter of: Creation of "RPO Charge Regulatory Fund" as per Jharkhand State Electricity Regulatory Commission (Renewable Energy Purchase Obligation and its compliance), Regulations 2016; AND In the Matter of: Constitution of RPO Charge Regulatory Fund.	12.04.2018
30	**02 of 2018** M/s Jharkhand Renewable Energy Development Agency (JREDA)	Petition U/s	12.04.2018

Petitions disposed in the year F.Y 2019-20

	Case No. & Name of Parties	Subject	Date of Disposed
01	**09 of 2017** Inland Power Limited	Review of trueup of ARR for the FY 2014-15 in case no. 06&11 of 2016 dated 16/05/2017 on limited issues which although stated to have been taken note of however, no order has been	22.10.2019

		passed in terms of the actual projected in the tariff petitions.	
02	**12 of 2019** M/s Association of DVC HT Consumers of Jharkhand Versus Damodar Valley Corporation (DVC) & Anr	Petition seeking amendment of the relevant of the relevant Regulations of JSERC (Electricity Supply Code) Regulation, 2015	29.07.2019
03	**13 of 2019** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) Versus Damodar Valley Corporation (DVC)	Review of the tariff order dated 28/05/2019 for Trueup of FY 2016-17 APR for FY 2017-18 & FY 2018-19 and ARR & Tariff for FY 2019-20 of DVC	29.07.2019
04	**05 of 2016** M/s Inland Power Limited Versus Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited (JUVNL) & Ors.	An application under section 142 of the Electricity Act 2003 for non-compliance of the order dated 29.07.2015 passed by Commission.	29.07.2019
05	**01 of 2019** M/s Steel Authority of India-Bokaro Versus Damodar Valley Corporation (DVC) & Ors.	An application under section 86(1)(B) and (F) read alongwith secition 142 of the Electricity Act, 2003 for enforcement and implementation of the Tariff order dated 18.05.2018 passed by JSERC in case no.05 of 2016 and 02 of 2017 by granting suitable rebates to the petitioner.	24.07.2019
06	**08 of 2017** M/s Rishi Cement Company Limited Versus Jharkhand BijliVitran Nigam Limited (JBVNL) & Ors.	An application for temporary Electric Connection	24.07.2019
07	**Case No. 06 of 2005-06** M/s Tata Steel Limited (TSL) Versus Damodar Valley Corporation (DVC) &Ors.	For quashing the demand on account of DPS raised by DVC upon payment of Fuel Surcharge bills as well as AMG Bills which the petition has paid in installments.	17.06.2019
08	**Case No. 07 of 2019** Association of DVC HT Consumers of Jharkhand Vrs. Versus Damodar Valley Corporation	Review of of order dated 28.05.2019 for FY 2016-17, APR for FY 2017-18 & FY 2018-19 and ARR & Tariff for FY 2019-20 for DVC	17.06.2019
09	**Case No. 03 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	Seeking approval of the Commission on Supplementary PPA Signed between JBVNL and APNRL	28.05.2019
10	**Case No. 04 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited	Seeking approval of the Commission on 2nd Supplementary PPA signed between JBVNL and Inland Power Limited.	28.05.2019
11	**Case No. 21 of 2018 & I A No. 01 of 2019** M/s Tata Power Compnay Limited (TPCL) Vrs.Tata Steel Limited (TSL)	Approval of expenditure on installation of various emission control systems for compliance for ministry of Environment and Forests and Climate Change (MOEFCC), GOI, Notification dated 07.12.2005	13.05.2019
12	**08 of 2015** Shree Ram Steels Vrs. Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited	Order for approval of Power Purchase Agreements of JBVNL With SECI for Procurement of 10 MW Solar Power from SECI under Section 86 1(b) of the Electricity Act, 2003 and directives in its Tariff Order	13.05.2019

		dated 21st June 2017 and vide letter No. JSERC/Case (T) No.08 & 10 of 2016/466 dated 06th October 2017	
13	**16 of 2018** Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	PPA of JBVNL with SECI for procurement of 10 MW Solar Power from SECI.	13.05.2019
14	**08 of 2018** Inland Power Limited (IPL)	Review petition for True up of FY 2015-16	13.05.2019
15	**02 of 2019** Shree Jharkhand Cement Plant Versus Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL)	An application under section 142 and section 146 of the Electricity Act 2003	16.04.2019
16	**05 of 2018** Adhunik Power & Natural Resources Limited (APNRL) Versus Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	Corrigendum to the order dated 08th March'19 for APNRL issued by the Commission in Case No. 05 of 2018	10.04.2019

D. न्यायालय में चुनौती वाले आदेश या बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

क्रं0	वाद संख्या तथा वादी का नाम	विषय	निष्पादन की तिथि
1.	आर्डर नंबर 1621 ऑफ 2019 इन डी एफ आर 2200 ऑफ 2019	इनलैंड पावर लिमिटेड बनाम् झारखण्ड राज्य विद्युत विनायमक आयोग तथा अन्य	02.12.2019
2.	अपील नंबर 142 ऑफ 2018	इनलैंड पावर लिमिटेड बनाम् झारखण्ड राज्य विद्युत विनायमक आयोग तथा अन्य	25.03.2019
3	आर्डर इन अपील नो. 159 ऑफ 2006 – आई. ऐ	टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग	28.11.2018
04	IA No. 927 of 2018 & 920 of 2018 & 607 of 2018 in A.No. 178 of 2018	The Tata Power Company Limited. Versus Jharkhand State Electricity Regulatory Commission & Anr	24.07.2018

अनुलग्नक–II

झारखण्ड विद्युत लोकपाल द्वारा मामलो का निष्पादन

2018-19

	Case No.	Date	Parties	
			Appellant	**Respondent**
01	EOJ/02/2018	29.11.2018	M/s Jamshedpur Roller Flour Mills (Pvt.) Ltd.	Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited and three others
02	EOJ/01/2018	05.04.2018	Urmila Singh	JUVNL & Ors.

2019-20

	Case No.	Date	Parties	
			Appellant	**Respondent**
01	EOJ/08/2019	12.03.2020	Nisha Jha	Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited
02	EOJ/07/2019	28.11.2019	Ekta Jaiswal	Tata Steel Limited
03	EOJ/03/2019	24.10.2019	Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)	M/s Model Coke Industries
04	EOJ/06/2019	12.07.2019	M/s Gautam Ferro Alloys through its Director Sri Gourav Budhia	Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) & Others
05	EOJ/05/2019	12.07.2019	The Union of India through Welfare and Cess Commissioner, Government of India, Ministry of Labour and Employment, Labour Welfare Organization	Jharkhand State Electricity Board (JSEB) & Others
06	EOJ/03/2018	28.05.2019	M/s Gautam Ferro Alloys	Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) & Others
07	EOJ/04/2019	16.05.2019	Smt. Ekta Jaiswal	Smt. Krishna Devi & Ors.
08	EOJ/02/2019	12.04.2019	M/s Shanti Cement (P) Ltd.	JUVNL & Ors.

अनुलग्न–III

Sl.No.	Name of Generators
1.	Jharkhand Urja Utpadan Nigam Ltd.
2.	Tengughat Vidyut Nigam Ltd.
3.	Tata Power Company Ltd.
4.	Damodar Valley Corporation.
5.	Bokaro Power Supply Company (P) Ltd.
6.	Adhunik Power And Natural Resources Ltd.
7.	Inland Power Ltd.

Sl.No.	Name of Licensee (Including Deemed Licensees)	Area
1	Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL)	State wide transmission licensee
2	Jharkhand BijliVitran Nigam Limited (JBVNL)	State wide
3	Tata Steel Ltd. (TSL)	Jamshedpur Township
4	Steel Authority of India Limited (SAIL)	Bokaro Steel City Township
5	Damodar Valley Corporation (DVC)	Deemed Licensee
6	Jamshedpur Utilities Services Company Limited (JUSCO)	Adityapur Township (license granted on 1st of December 2006 for 25 years)

अनुलग्न–IV

झारखण्ड ऊर्जा क्षेत्र का अवलोकन

Generating Company	Type	Capacity (MW)
State Owned Generation		
Subernrekha HPS	State- Hydro	130
TVNL	State- Thermal	420
Total State Owned Generation		**550**
IPPs		
IPL	IPP- Thermal	63
ADHUNIK	IPP- Thermal	540
Maithon TPS	IPP- Thermal	1050
TPCL	IPP- Thermal	240
Total IPPs		**1893**
DVC		
Bokaro- B	DVC- Thermal	210
Bokaro- A	DVC- Thermal	500
Chandrapura- 3	DVC- Thermal	130
Chandrapura- 7&8	DVC- Thermal	500
Koderma-1&2	DVC- Thermal	1000
Panchet	DVC- Hydro	80

Tilaiya	DVC- Hydro	4
Total DVC		**2424**
Renewables	IPP- Solar	**14**
CPP*		**824.5**
Off-Grid Generation*		**8**
TOTAL		**5714**

*- *Based on data provided by JREDA*

राज्य के अंतर्गत संपूर्ण स्थापित क्षमता का विवरण:

राज्य के अंतर्गत स्थापित क्षमता का सारांश का वर्णन स्वामित्व एवं स्थापित क्षमता पर आधारित है।

➢ जरेडा द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर

आज की तारीख तक (वर्तमान तिथि तक) झारखण्ड राज्य के अंतर्गत स्थापित क्षमता 5714 मेगावाट है, जिसमें कोयला आधारित तापीय उत्पादन संयंत्र (जिसमें **CPP'S** भी शामिल है) का योगदान 5478 मेगावाट है।

राज्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में संपूर्ण उत्पादन का विवरण:

CEA उत्पादन रिपोर्ट पर आधारित वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वास्तविक संयंत्रवार उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

Generating Company	Type	FY 2017-18 Generation (MU)
Subernrekha HPS	State- Hydro	190.38
TVNL	State- Thermal	1933.31
IPL	IPP- Thermal*	364.40
ADHUNIK	IPP- Thermal	2909.92
Maithon TPS	IPP- Thermal	7345.34
TPCL	IPP- Thermal	1618.38
Bokaro- B	DVC- Thermal	573.94
Bokaro- A	DVC- Thermal	2924.25
Chandrapura- 3	DVC- Thermal	4075.82
Chandrapura- 7&8	DVC- Thermal	
Koderma-1&2	DVC- Thermal	5911.30
Panchet	DVC- Hydro	141.94
TOTAL		**28008.68**

➢ **IPL** द्वारा प्रस्तुत नवीनतम सच याचिका के अनुसार

राज्य में उपयोगिताओं का विवरण:

उत्पादन–

JUVNL:

भूतपूर्व JSEB के पुर्ननिर्माण में झारखण्ड सरकार के निर्णय के अनुसार झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि0 (JUVNL) भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित किया गया है।

झारखण्ड सरकार द्वारा JSEB का कथित पुर्ननिर्माण, ''भाग–XIII– बोर्ड (समिति/मंडल) का पुर्ननिर्माण'' जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुभाग 131 के साथ पढ़ते है, के अनुसार किया गया है।

नियंत्रक कंपनी को 16 सितम्बर 2013 को कंपनियों के पंजीयक, झारखण्ड रांची के साथ शामिल किया गया और उसने व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र 12 नवम्बर 2013 को प्राप्त किया।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पाद निगम लि0 (JUVNL) को 23 अक्टूबर 2013 को कंपनियों के पंजीयक, झारखण्ड, राँची के साथ शामिल किया गया और उसने 28 नवम्बर 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।

यह झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के तहत्, अधिसूचना सं0 8 दिनांक 6 जनवरी 2014 के द्वारा स्थानान्तरण योजना के रूप में सामान्य संकल्प द्वारा अधिसूचित कंपनी है।

उत्पादक कंपनी– झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि0 कंपनियों के पंजीयक, रांची के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2013 को विधिवत् रूप से पंजीकृत है।

असमायोजन के पूर्व JSEB के उत्पादन कार्य हेतु दो संयंत्र थे अर्थात् 840 मेगावाट क्षमता का विद्युत/शक्ति पतरातू ताप संयंत्र (PTPS) एवं 130 मेगावाट का सिकिदरी जल विद्युत/शक्ति संयंत्र (SHPS) हालांकि, दिनांक 20 नवम्बर 2015 के झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित स्थानान्तरण योजना में असमायोजन के पश्चात् अर्थात् 6 जनवरी 2014 से PTPS सीधे झारखण्ड सरकार में निहित है। अतः JUVNL वर्तमान में सिर्फ 130 (2x65) मेगावाट की SHPS विद्युत/शक्ति उत्पादन संयंत्र का ही मालिक है।

TVNL

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL), भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत् 1987 में गठित झारखण्ड सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक उत्पादक कंपनी है। यह

तेनुघाट ताप शक्ति/विद्युत संयंत्र के दो इकाइयों (इकाई I एवं II) का संचालन करता है। प्रत्येक इकाई की स्थापित शक्ति/विद्युत उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट है। इकाई I ने सितम्बर 1996 में संचालन शुरू किया एवं इकाई II ने सितम्बर 1997 में। झारखण्ड राज्य के निर्माण के साथ 15 नवम्बर 2000 से यह झारखण्ड सरकार का उपक्रम हो गया है।

TPCL

सन् 1923 में भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 28(1) के अंतर्गत जमशेदपुर टाउनशिप क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए TISCO (अब TSL) को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

बाद में, बिहार सरकार के अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 1993 के द्वारा जमशेदपुर शक्ति/विद्युत वितरण कॉ0 लि0 (JAPCOL) के स्थापना की अनुमति प्रदान की गई, जैसा कि TISCO ने जोजोबेड़ा जमशेदपुर में इकाई 2 और इकाई 3 के स्थापना का प्रस्ताव दिया था।

दोनो पार्टियों ने 12 सितम्बर 1997 को एक PPA पर हस्ताक्षर किया जिसके अंतर्गत दोनों पार्टियाँ, चरणबद्ध तरीके से जोजोबेड़ा में एक विद्युत/शक्ति संयंत्र जिसकी कुल क्षमता 500 मेगावाट तक हो, की स्थापना हेतु सहमत हुई। PPA में कुछ प्रावधान शामिल थे, जो जोजोबेड़ा विद्युत संयंत्रण में विद्युत उत्पादन एवं TSL द्वारा उसके खरीद के दर का निर्धारण को शासित करते थे।

अप्रैल 2000 में, JAPCOL, टाटा शक्ति कंपनी लि0 में इसकी सहायक के रूप में शामिल हो गई। वर्तमान में, TPCL जोजोबेड़ा विद्युत संयंत्र में पाँच इकाईयों का संचालन करती है, जिसकी संचयी क्षमता 547.5 मेगावाट है, जिनमें से दो इकाईयों/(इकाई 2 एवं इकाई 3 प्रत्येक 120 मेगावाट क्षमता की) कमीशन के द्वारा दर निर्धारण के अधीन है, दोनो इकाईयों की क्षमता 120 मेगावाट प्रति इकाई है।

IPL

अन्तर्देशीय विद्युत लिमिटेड (IPL) ने परियोजना के निर्माण का कार्य 20 दिसम्बर 2011 को झारखण्ड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के पश्चात् शुरू किया। इसके प्रथम चरण के 63 मेगावाट का व्यवसायिक संचालन 21 मई 2014 को प्राप्त किया गया।

APNRL

आधुनिक ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड **(APNRL)** भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक कंपनी है। अक्टूबर 2005 में, **APNRL** ने झारखण्ड सरकार के साथ 1000 मेगावाट के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के विकास के समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

जिसके अनुसार **APNRL** ने प्रथम चरण में 540 मेगावाट (इकाई 1 एवं इकाई 2 प्रत्येक 270 मेगावाट की) के कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना की एवं द्वितीय चरण में अतिरिक्त 540 मेगावाट के कोयला आधारित विद्युत के विकास की योजना है। विद्युत संयंत्र का इकाई I, 3 नवम्बर 2012 को समक्रमिक किया गया था और इसके लिए **COD** की घोषणा 21 जनवरी, 2013 को की गई। विद्युत संयंत्र का इकाई– II, 29 मार्च 2013 को समक्रमिक किया गया और उसके लिए **COD** की घोषणा 19 मई 2013 को की गई।

JUSNL

भूतपूर्व **JSEB** के पुर्ननिर्माण के झारखण्ड सरकार के निर्णय के अनुसार झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0 **(JUSNL)** भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 अंतर्गत निगमित किया गया है।

झारखण्ड सरकार द्वारा **JSEB** का पूर्णगठन भाग–तेरह–बोर्ड/समिति का पुर्ननिर्माण'' जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के अनुभाग 131 के साथ पढ़ते हैं, के अनुसार किया गया है।

JUSNL झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के तहत, अधिसूचना सं0 8 दिनांक 6 जनवरी 2014 के द्वारा स्थानान्तरण योजना के रूप में सामान्य संकल्प द्वारा अधिसूचित एक कंपनी है। **JUSNL** को 23 अक्टूबर 2013 को कंपनियों के पंजीयक, झारखण्ड, राँची के साथ शामिल किया गया और उसने 28 नवम्बर 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

यह विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन एक संप्रेषण अनुज्ञप्तिधारी है जिसे झारखण्ड राज्य में संप्रेषण लाइन स्थापित अथवा संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

JUSNL के आधारभूत संरचना का विवरण:

Details of Transmission Infrastructure of JUSNL:

Grid Substations (No.)	As on March 2018
440/220 kV	
220/132 kV or 220/132/33 kV	6
132/33 kV	33
Total No. of GSS	39

Transformation Capacity (MVA)	As on March 2018
440/220 kV	-
220/132 kV	2000
132/33 kV	3655
Total Transformation Capacity (MVA)	5655

Transmission Lines (Ckt. km)	As on March 2018
440 (Presently operational at 220 kV)	180
220 kV	1069
132 kV	2209
Total Transmission Lines (Ckt. km)	3458

वितरण:

JBVNL

झारखण्ड सरकार के निर्णय के अनुसार भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत् पत्रांक सं0–1/बोर्ड–01–ऊर्जा–26/13–1745 दिनांक 28 जून 2013 को पूर्व के JSEB के असमूहीकरण के आलोक में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) को निगमित किया गया है।

झारखण्ड सरकार द्वारा JSEB का पूर्नगठन'' भाग–तेरह–समिति/बोर्ड का पुर्ननिर्माण'' जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के अनुभाग 131 के साथ पढ़ते हैं, के अनुसार किया गया है। JBNVL झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के अधीन अधिसूचना सं0 8 दिनांक 6 जनवरी 2014 के द्वारा स्थानान्तरण योजना के रूप में सामान्य संकल्प द्वारा अधिसूचित एक कंपनी है एवं यह कंपनियों के पंजीयक, राँची द्वारा विधिवत पंजीकृत है, को 23 अक्टूबर 2013 को कंपनियों के पंजीयक, झारखण्ड, राँची के साथ शामिल किया गया और उसने 28 नवम्बर 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।

JBVNL विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी है, जिसे झारखण्ड राज्य में विद्युत आपूर्ति करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 922.77 MU की बिक्री एवं कुल 3385216 उपभोक्ताओं की अनुमति दे दी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में JBVNL की आधारभूत संरचना की संपतियाँ निम्न प्रकार है–

Particulars	Nos.
Power Substation	798

Particulars	Ckt. km
11 kV	52884
33 kV (Incoming)	5420
33 kV (Outgoing)	2265

JUSCO

जमशेदपुर युटिलिटीस (उपयोगिताओं) और सर्विसेस (सेवाओं) कंपनी लिमिटेड (JUSCO) अगस्त 2003 में कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन और टाटा स्टील लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक निगमित कंपनी है। JUSCO मुख्य रूप से जमशेदपुर शहर में आधारभूत संरचना एवं विद्युत वितरण सेवाओं को पूरा करने के लिए निगमित किया गया है। विद्युत सेवाओं के अतिरिक्त, कंपनी की सेवाओं में जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बागवानी, अभियंत्रण एवं निर्माण शामिल है। JUSCO सरायकेला–खरसावां जिला में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 (JBVNL) के साथ में काम करनेवाला एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी है। यह भारत में पहला जिला है जहाँ दो उपयोगिताओं को विद्युत वितरण के लिए समांतर नेटवर्क बनाने की अनुमति दी गई है।

JUSCO ने 5 मई 2006 को जुस्को के पहले से ही सेवा क्षेत्र के साथ मिला हुआ सरायकेला–खरसावां राजस्व जिला के लिए वितरण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया था। आयोग ने उपरोक्त राजस्व जिला के लिए 1 दिसम्बर 2006 को वितरण अनुज्ञप्ति दिया और जुस्को ने सितम्बर 2007 में राजस्व जिला सरायकेला–खरसावां में अपने विद्युत वितरण सेवाओं की शुरूआत की।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 508.73 MU की बिक्री एवं कुल 2229 उपभोगताओं की अनुमति दे दी।

DVC (डी वी सी)

दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के अधीन निगमित एक वैधानिक निकाय है, जिसका बहुआयामी कार्य है अर्थात् उत्पादन, संचारण एवं वितरण।

डीवीसी बिजली उत्पादन करता है और इसलिए विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 2(28) के अर्थ में यह एक उत्पादक कंपनी है। डीवीसी बिजली के संचारण का कार्य भी दामोदर घाटी क्षेत्र में करता है जो दो राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं अर्थात् पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के अंतर्गत आता है। यह इसलिए बिजली के अंतर राज्य संप्रेषण का संचालन करता है और विद्युत अधिनियम 2003, के अनुच्छेद 2 (36) के अर्थ में अन्तराज्य संप्रेषण प्रणाली व्यवस्था का संचालन करता है। डीवीसी अपनी क्षमता के अंदर सामान्यतः एक उत्पादक कंपनी के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) और झारखण्ड विद्युत वितरण निगम लि0 (JBVNL) को बिजली बेचती है। विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62(1)(a) के अर्थ में यह उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बिजली की थोक बिक्री है। उपरोक्त के अतिरिक्त डीवीसी विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62(d) के साथ अनुच्छेद 86(i) के प्रावधानों के अधीन दामोदर घाटी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की खुदरा बिक्री एवं आपूर्ति करती है।

डीवीसी, डीवीसी अधिनियम 1948 के अधीन गठित एक वैधानिक निकाय होने के नाते, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) है। विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 79(1)(a) के अधीन जैसा कि परिक्ल्पना की गई है। बिजली के उत्पादन के लिए दर का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार, अंतर–राज्य उत्पादन और संप्रेषण के संबंध में, डीवीसी पुनः CERC द्वारा विनियमित है और समग्र (अंर्तराज्य) उत्पादन और संप्रेषण के लिए दर का निर्धारण CERC द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 79(1)(c) और (d) के रूप में किया जाना है।

बिजली के खुदरा बिक्री एवं आपूर्ति के संबंध में, डीवीसी पूरे दामोदर घाटी क्षेत्र जो दो संगत राज्यों, अर्थात् पश्चिम बंगाल राज्य एवं झारखण्ड राज्य में पड़ता है, को आच्छादित करता है। इस प्रकार दामोदर घाटी क्षेत्र में बिजली के खुदरा बिक्री एवं आपूर्ति के लिए दर विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62(d) के साथ अनुच्छेद 86(1) के प्रावधानों के खुदरा दर का निर्धारण झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा0 एस0 ई0 आर0 सी0) द्वारा होता है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 10896.84 MU के बिक्री एवं कुल 1786 उपभोक्ताओं की अनुमति दी।

TSL टी एस एल

टाटा स्टील लिमिटेड जो पहले टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (TISCO) के नाम से जाना जाता था, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक कंपनी है। यह विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन जमशेदपुर में विद्युत का वितरण कर रहा है।

TSL, पूर्व की भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 28(1) के तहत प्राप्त अनुज्ञप्ति/अनुच्छेद के द्वारा 1923 से जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में बिजली वितरण कर रहा है।

विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन के पश्चात् TSL ने अधिनियमन के अनुच्छेद 15 के अधीन 24 दिसम्बर 2003 को वितरण अनुज्ञप्ति हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया। बाद में 12 जनवरी 2006 को झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 ने TSL को जमशेदपुर शहर के लिए 24 मार्च 2004 के प्रभाव से अनुज्ञप्ति जारी किया। अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र उत्तर में स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण में दक्षिण–पूर्व रेलवे के ट्रैक, जोजोबेड़ा मौजा की पूर्वी सीमाएँ और पूर्व में नीलहांड और पश्चिम में खरकाई नदी द्वारा आच्छादित है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2999.62 MU के बिक्री की अनुमति दी।

SAIL (सेल)

भारत इस्पात प्राधिकरण, भारत सरकार का एक उपक्रम ने पूर्व के बिहार अब झारखण्ड के बोकारो में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ई0 में की। इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु बोकारो इस्ताप लिमिटेड (सेल–बी एस एल) ने पूर्व की बिहार सरकार से 1964 ई0 में विद्युत अधिनियम 1910 के अनुच्छेद 28 के अधीन स्वीकृति प्राप्त की। तब से यह बोकारों में निवास करनेवाले लोगों को बिजली का वितरण करता आ रहा है। यह डीवीसी एक अन्य भारत सरकार का उपक्रम से PPA के अन्तर्गत बिजली खरीदता है। इस प्रकार खरीदी गई बिजली का वितरण सयंत्र के संचालन के साथ–साथ बोकारो स्टील सिटी में इसके संचालन क्षेत्र में रहनेवाले लोगों के लिए किया जाता है।

जब विद्युत अधिनियिम 2003 अस्तित्व में आया, विद्युत अधिनियम 1910 (जिसके तहत स्वीकृति प्रदान की गई थी) रद्द कर दिया गया। फिर सेल–बीएसएल में झा0 एस0

ई0 आर0 सी0 को वितरण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिया। उचित प्रक्रिया के बाद, झा0 एस0 ई0 आर0 सी0 ने सेल BSL का वितरण अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर लिया और इसका अनुज्ञप्ति क्षेत्र बोकारो स्टील सिटी बरकरार रखा जैसा कि तब के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत था।

पूरे बोकारो स्टील टाउनशिप के HT लोड के आवश्यकता की पूर्ति 132 KV /11 KV टाउनशिप सब स्टेशन से की जाती है। यह सब स्टेशन 1965 में स्थापित किया गया और बाद में यह विभिन्न चरणों में बोकारो स्टील सिटी टाउनशिप के विकास के साथ विस्तारित किया गया। टाउनशिप सब स्टेशन में 132 KV का स्विचयार्ड और 11 KV की इंडोर सब स्टेशन शामिल है। वहाँ 132 KV /11 KV के पाँच ट्रांसफारम हैं जिनकी कुल बिजली हैन्डलिंग क्षमता 62.5 MVA है। टाउनशिप सब स्टेशन 132 KV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन से बिजली प्राप्त करता है। हांलाकि भविष्य में बढ़ती ऊर्जा मांग की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सेल–बीएसएल मौजूद 132 KV/11KV टाउनशिप सब–स्टेशन की वृद्धि की योजना में 132KV स्विचयार्ड के साथ हाइब्रिड EHV स्विचगियर्स (आउअडोर GIS) और 11KV सब स्टेशन, सब स्टेशन इमारत, नये ट्रांसफारमर्स और नियंत्रण कक्ष जिसमें रिले ओर नियंत्रण उपकरण, सहायक, केवलिंग, रोशनी अर्थिंग और बिजली सुरक्षा आदि शामिल है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 677.22 मेगावाट के बिक्री एवं कुल 656 उपभोक्ताओं की अनुमति दी।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग
राँची